

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन


मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

मनोरंजन क्षेत्र में सेवा कर
का उद्ग्रहण और संग्रहण

संघ सरकार
राजस्व विभाग
अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर
2017 की प्रतिवेदन संख्या 31

0 4 अगस्त 2017

को लोक सभा तथा राज्य सभा के पटल पर प्रस्तुत किया गया



विषय-सूची

विषय वस्तु	पृष्ठ
प्राक्कथन	i
कार्यकारी सार	iii
अध्याय 1: प्रस्तावना	1-6
1.1 क्षेत्र के बारे में	1
1.2 मनोरंजन क्षेत्र से संबंधित सेवाएँ	1
1.3 हमने यह विषय क्यों चुना	5
1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य	5
1.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कवरेज	6
1.6 आभार	6
अध्याय 2: नीतिगत मामले	7-21
2.1 कॉपीराइट सेवाओं की करदेयता	7
2.2 फिल्म इंडस्ट्री में कॉपीराइट कार्य के प्रकार	9
2.3 गैर-रंगमंचीय अधिकारों/रंगमंचीय अधिकारों सहित अन्य गतिविधियों को मिलाना	11
2.4 रंगमंचीय अधिकारों के अंतर्गत वितरण आय का समावेश	13
2.5 सीमाओं सहित स्थानांतरित कॉपीराइट को निरंतर रूप से स्थानांतरित के रूप में मानना	14
2.6 सेवाओं को निर्यात के रूप में मानकर कर से बचना	17
2.7 प्रायोजिकता सेवाओं के अंतर्गत सेनवेट क्रेडिट का अनुचित लाभ उठाना	19
अध्याय 3 : प्रणालियाँ और पद्धतियाँ	23-44
3.1 कर आधार का विस्तार	23
3.2 रिटर्न फाइल करने की मॉनीटरिंग	32
3.3 रिटर्न की संवीक्षा की प्रभावकारिता	37
3.4 आंतरिक लेखापरीक्षा	39
3.5 एससीएन और न्यायिक निर्णयन	41

विषय वस्तु	पृष्ठ
अध्याय 4 : अनुपालन मामले	45-59
4.1 सेवा कर जमा न करना	45
4.2 अतिरिक्त प्रतिफल का मूल्य शामिल न करना	45
4.3 सेवा कर का गैर/कम भुगतान करना	47
4.4 रिवर्स प्रभार तंत्र के अन्तर्गत सेवा कर का भुगतान न होना	48
4.5 सेनवेट क्रेडिट का अनुचित/अधिक लाभ उठाना	49
4.6 स्वच्छ भारत उपकर का गैर/कम भुगतान	57
4.7 ब्याज का भुगतान न करना/कम भुगतान	57
संकेताक्षर	61

प्राक्कथन

यह रिपोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार की गई है।

रिपोर्ट में मनोरंजन क्षेत्र में सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं और यह 2013-14 से 2015-16 की अवधि को कवर करती है। जहां भी आवश्यक है, वहां अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामलों को भी शामिल किया गया है।

इस रिपोर्ट में वह उदाहरण उल्लिखित हैं, जो 2016-17 की अवधि के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा में देखे गये थे।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखाकरण मानकों के अनुसार की गई है।

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त सहयोग के लिये आभार व्यक्त करता है।



कार्यकारी सार

हमने मनोरंजन क्षेत्र से संबंधित सेवा कर नियमों और विनियमों की पर्याप्तता और उसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये उचित प्रणाली से संबंधित आश्वासन पाने के लिये, मनोरंजन क्षेत्र में सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण पर निष्पादन लेखापरीक्षा की। लेखापरीक्षा प्रत्येक कमिश्नरी में एक डिविजन और एक रेंज और 307 निर्धारितियों से संबंधित अभिलेखों की जांच सहित 17 चयनित कमिश्नरियों में की गई थी। लेखापरीक्षा में 2013-14 से 2015-16 की तीन वर्ष की अवधि कवर की गई।

लेखापरीक्षा से मनोरंजन क्षेत्र में सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण से संबंधित मौजूदा प्रावधानों के साथ-साथ प्रणालीगत कमियों में कुछ अपर्याप्तता का पता चला, जिसका सार नीचे दिया गया है:-

क. रंगमंचीय अधिकारों को एक साथ मिलाने के कारण करयोग्य वाणिज्यिक गतिविधियां कराधान से बच जाती हैं, जो करार के माध्यम से इन सबको एक साथ मिलाकर मानने के कारण केवल रंगमंचीय अधिकारों के प्रति करयोग्य गैर-रंगमंचीय अधिकारों/अन्य गतिविधियों के साथ करमुक्त हैं।

(पैराग्राफ 2.3)

ख. कॉपीराइट जो सीमाओं सहित स्थानांतरित की गई हो को निरंतर स्थानांतरित के रूप में माना गया जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई।

(पैराग्राफ 2.5.1)

ग. कलाकारों/निर्माताओं के उदाहरण थे जिन्होंने गैर-करयोग्य क्षेत्र में नियोजित स्थान और सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से जुड़ने के लिये विदेशी संस्थाओं के साथ करार किया और इससे भारत के बाहर सेवा प्रदान करने को ध्यान में रखते हुये निर्यात के रूप में माना गया था।

(पैराग्राफ 2.6.1)

घ. प्रायोजिकता सेवाओं के अंतर्गत ₹ 14.71 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का अनुचित लाभ उठाया गया।

(पैराग्राफ 2.7)

ड. आयकर, कार्पोरेट मामला मंत्रालय (एमसीए) आदि जैसे अन्य डाटाबेस सहित विभाग से प्राप्त सेवा कर डाटा के प्रति-सत्यापन से करयोग्य सेवाओं से जुड़े निर्धारितियों के गैर-पंजीकरण के मामलों का पता चला, जिसमें ₹ 10 लाख (सेवा कर के लिय सीमा) से अधिक करयोग्य सेवा प्रदान करने वाला निर्धारिती और सेवा कर के अंतर्गत आय को कम बताने के मामले भी शामिल थे।

(पैराग्राफ 3.1)

च. रिटर्न फाइल करने की मॉनीटरिंग, रिटर्न की संवीक्षा की क्षमता में कमियों, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली में कमियों और कारण बताओं नोटिस और न्यायिक निर्णय की प्रक्रिया में समस्या के मामले थे।

(अध्याय 3)

छ. निर्धारित नियमों/प्रावधानों का पालन न करने के 156 मामले थे जिसके परिणामस्वरूप सेवा कर/ब्याज/स्वच्छ भारत उपकर का गैर/कम भुगतान हुआ, सेनवेट क्रेडिट का अनुचित/अधिक लाभ हुआ और ₹ 48.13 करोड़ के राजस्व से जुड़ी सेवाओं के निर्यात का अनुचित दावा किया गया।

(अध्याय 4)

सिफारिशों का सार

1. चूंकि निर्धारित अधिकारों के हस्तांतरण के लिए करार की ड्राफ्टिंग करते समय 'अभिनेयता' और 'गैर-अभिनेयता' की परिभाषा में अस्पष्टता के कारण अनुचित लाभ उठा रहे हैं अतः इन परिभाषाओं में वैधानिक स्पष्टता लाने की आवश्यकता है।
2. व्याख्याओं के अवांछित लाभ से बचने के लिए और निर्यात लाभ देने में विधान के अभिप्राय को सुरक्षित करने के लिए सेवा नियमों के प्रावधान को सेवा विशिष्ट मामलों से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने की आवश्यकता है।
3. मनोरंजन क्षेत्र में प्रायोजक सेवाओं के अंतर्गत सेनवेट क्रेडिट के लिए उपलब्ध प्रावधानों में मौजूदा अस्पष्टता को नियमों में प्रासंगिक संशोधन करके स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

मंत्रालय ने कहा (मई 2017) कि सेवा कर के मौजूदा नियम में कोई संशोधन एक अर्थहीन प्रयास होगा क्योंकि "माल और सेवा कर" (जीएसटी) 1 जुलाई 2017 से आरंभ होना है और यद्यपि भविष्य में अनुपालना के लिए सिफारिशों को नोट कर लिया गया था।

चूंकि ये सिफारिशें जीएसटी व्यवस्था में भी प्रासंगिक हैं, अतः लेखापरीक्षा द्वारा की गई सिफारिशों को नये विधान में स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए सीबीईसी की जीएसटी पॉलिसी विंग द्वारा जांच की जानी चाहिए।

4. विभाग को विशेष सैल सक्रिय करने और फाइलरों के रिकार्ड से विवरण के साथ साथ तीसरे पक्ष के डाटा के प्रयोग के लिए एक प्रणाली बनाने की आवश्यकता है ताकि संभावित अपंजीकृत तथा चूककर्त्ताओं की पहचान की जा सके।
5. बोर्ड प्रक्रिया के स्वचालन और रिटर्न फाइल न करने/देरी से रिटर्न फाइल करने पर शास्ति/विलम्बित शुल्क के उदग्रहण के लिए नोटिस जारी करने पर विचार करे।

6. बोर्ड को यह सुनिश्चित करने कि पहले से उपलब्ध डाटा को पूरी तरह से उपयोग किया गया है अपने कर 360 कार्यक्रम को मजबूत करने की आवश्यकता है अपने कर 360 कार्यक्रम को मजबूत करने की आवश्यकता है और क्षेत्र विशिष्ट डाटा सेटो की पहचान करे और उसे कर 360 कार्यक्रम से संबद्ध भी करे।
7. बोर्ड प्रणाली को संशोधित करने पर विचार करे जिसके माध्यम से एसीईएस में प्रारंभिक संवीक्षा के लिए स्वचालित जांच सूचियां ली जाती है।

उपरोक्त सिफारिश संख्या 4 से 7 के संदर्भ में मंत्रालय ने कहा (मई 2017) कि सीबीईसी-जीएसटी एप्लीकेशन के अंतर्गत उपरोक्त प्रावधानों को सीजीएसटी कानून के अनुसार शामिल किया जा रहा है और जीएसटीएन पोर्टल नामक सामान्य पोर्टल द्वारा प्रबंधन किया जायेगा।

मंत्रालय से सीबीईसी-जीएसटी एप्लीकेशन के विशेष विवरण साझा करने का अनुरोध किया गया था जो लेखापरीक्षा द्वारा की गई सिफारिशों की चर्चा करेगा और विवरण प्रतीक्षित हैं (जून 2017)।

अध्याय 1: प्रस्तावना

1.1. क्षेत्र के बारे में

मनोरंजन क्षेत्र के विभिन्न भाग हैं जिसमें टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री सहित फिल्म निर्माण, कॉपीराइट, कलाकारों से लेकर सहायक सेवाओं जैसे नृत्य निर्देशक और बालों के स्टाइलिस्ट, प्रतिभावान कलाकारों का चुनाव करने वाली एजेंसी, समाचार एजेंसी, सीधा प्रसारण और कार्यक्रम कवरेज, प्रसिद्ध व्यक्ति प्रबंधन और ब्रांड समर्थन, रेडियो, साउंड रिकॉर्डिंग, एनीमेशन, गेमिंग और दृश्यात्मक प्रभाव तक के पेशेवर लोगों की सेवाओं जैसे उसके उप-भाग शामिल हैं। ब्रांड प्रमोशन और प्रायोजिकता सेवाएँ इस क्षेत्र से विस्तारपूर्वक जुड़ी हुई हैं। पिछले दो दशकों में मनोरंजन इंडस्ट्री ने भारत में सबसे तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री के रूप में तीव्र वृद्धि दर्ज की है। विश्व स्तर पर, भारत में मीडिया और मनोरंजन का पांचवा सबसे बड़ा बाजार है। भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा टेलीविजन बाजार भी है और टिकट बिक्री और निर्मित फिल्मों की संख्या के संबंध में विश्व की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है।

1.2. मनोरंजन क्षेत्र से संबंधित सेवाएँ

मनोरंजन सेवा (ईएस) से संबंधित निम्नलिखित नौ सेवाओं को सेवा कर के अंतर्गत अलग लेखा कोड में निर्धारित किया गया है और विशेष रूप से निर्धारण योग्य हैं:

- (i) प्रसारण सेवाएँ,
- (ii) प्रकाशनाधिकार सेवा - अस्थाई स्थानांतरण/परमिट उपयोग या आनंद,
- (iii) कार्यक्रम प्रबंधन,
- (iv) साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो या एजेंसी सेवाएँ,
- (v) कार्यक्रम निर्माता द्वारा सेवाएँ,
- (vi) प्रचार सेवाएँ या माल/सेवा/कार्यक्रम के ब्रांड की मार्केटिंग,

- (vii) खेलकूद प्रायोजिकता सहित निगमित निकाय या फर्म को प्रदत्त प्रायोजिकता,
- (viii) वीडियो निर्माता एजेंसीयां/वीडियो टेप निर्माता सेवाएँ और
- (ix) केबल ऑपरेटर्स।

उपरोक्त नौ सेवाओं के अतिरिक्त, कई सेवाएँ नकारात्मक सूची में शामिल नहीं हैं और इसलिये 1 जुलाई 2012 से करयोग्य हैं, जैसे पेशेवर, कलाकार आदि जो बहुप्रयोजन शीर्ष 'अन्य करयोग्य सेवाओं' में शामिल हैं और स्पष्ट रूप से निर्धारण योग्य नहीं हैं।

1.2.1. इन सेवाओं का महत्व¹

भारत में प्रसारण इंडस्ट्री के पास लगभग 800 सैटलाइट टेलीविजन चैनल, 242 एफएम चैनल और 100 ऑपरेशनल कम्यूनिटी रेडियो हैं और 2010-14 के दौरान 12 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। टेलीविजन चैनलों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई थी और बढ़ते हुये टेलीविजन चैनलों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये कार्यक्रम निर्माण सेवाओं हेतु मांग काफी बढ़ी। 2015 में, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड (सीबीएफसी) की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 1,827 डिजिटल फीचर फिल्में बनायीं। भारत ने शीर्ष फिल्म निर्माता के रूप में अपना स्थान बनाया। एनीमेशन, दृश्यात्मक प्रभाव (वीएफएक्स) और निर्माण भाग भारत में नया उभरता क्षेत्र है जो घरेलू और विदेशी बाजार दोनों में अवसर प्रदान करता है। भारत में संगठित कार्यक्रम प्रबंधन इंडस्ट्री को वार्षिक तौर पर कम से कम 25 प्रतिशत तक की वृद्धि हेतु तैयार किया गया था और 2014-15 तक ₹ 5,500 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान था।

1.2.2. मनोरंजन क्षेत्र से राजस्व की प्रवृत्ति

मनोरंजन कर से पीएलए और सेनवेट क्रेडिट के माध्यम से कुल सेवा कर संग्रहण में पिछले तीन सालों में 9.9 प्रतिशत औसत विकास दर सहित 94 प्रतिशत दर पर कॉपीराइट वृद्धि के साथ-साथ माल के 'ब्रांड', सेवाओं, कार्यक्रम

¹ <http://www.makeinindia.com/article/-/v/sector-survey-media-and-entertainment> से लिया गया डाटा

व्यापार इकाई आदि का प्रचार (32 प्रतिशत) और प्रायोजिकता सेवा (18 प्रतिशत) में वृद्धि हुई है।

पिछले चार वर्ष के दौरान मनोरंजन क्षेत्र से पीएलए से कुल सेवा कर संग्रहण 43 प्रतिशत तक बढ़ा है जबकि उसी अवधि के दौरान सेनवेट उपयोग में 88 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान इस क्षेत्र से राजस्व (पीएलए और सेनवेट) और कर आधार की प्रवृत्ति को निम्नलिखित तालिकाओं में दर्शाया गया है:-

तालिका संख्या 1: मनोरंजन क्षेत्र से सेवा कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

वर्ष सेवा	2012-13		2013-14		2014-15		औसत वार्षिक विकास दर	
	पीएलए	सेनवेट	पीएलए	सेनवेट	पीएलए	सेनवेट	कुल एसटी राजस्व	सेनवेट और पीएलए की प्रतिशतता के रूप में सेनवेट
प्रसारण सेवा	1,770.77	3,061.68	1,680.01	3,169.60	2,012.63	3,240.80	1.85	4.34
	4,832.45		4,849.61		5,253.43			
सिनेमाटोग्राफिक फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग सेवा पर कापीराइट	113.06	115.87	280.13	318.91	314.50	443.73	54.76	94.12
	228.93		599.04		758.23			
कार्यक्रम प्रबंधन सेवा	351.00	181.85	374.71	219.43	432.84	268.76	7.68	14.79
	532.85		594.14		701.59			
माल के 'ब्रांड', सेवाओं, कार्यक्रमों, व्यापार इकाई आदि का प्रचार	67.69	13.87	80.73	25.96	107.64	34.48	11.41	32.02
	81.56		106.69		142.13			
साउंड रिकॉर्डिंग सेवा	19.92	3.09	20.18	3.55	20.78	3.17	0.20	2.02
	23.01		23.73		23.95			
प्रायोजिकता सेवा	150.36	52.97	159.62	54.19	203.79	77.47	5.74	18.35
	203.33		213.81		281.26			
टीवी और रेडियो कार्यक्रम निर्माण	223.74	109.06	208.66	138.47	222.61	147.82	5.76	5.51
	332.80		347.13		370.43			
वीडियो टेप निर्माण	97.44	40.56	102.66	68.63	108.19	49.21	4.50	8.01
	137.99		171.29		157.40			
केबल ऑपरेटर सेवा	143.57	500.17	119.65	597.14	172.06	613.46	8.67	10.47
	643.74		716.78		785.53			
कुल	2,937.55	4,079.12	3,026.35	4,595.88	3,595.04	4,878.90	5.54	9.90
	7,016.67		7,622.23		8,473.94			

स्रोत: डीजी (प्रणाली) द्वारा उपलब्ध कराया गया एसीईएस डाटा


1.2.3. मनोरंजन क्षेत्र में कर आधार

तालिका संख्या 2

वर्ष सेवा	निर्धारितियों की संख्या			औसत वार्षिक विकास दर
	2012-13	2013-14	2014-15	
प्रसारण सेवा	1,145	1,377	1,554	13.78
सिनेमाटोग्राफिक फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग सेवा पर कापीराइट	555	742	885	27.55
कार्यक्रम प्रबंधन सेवा	7,849	10,024	11,752	19.20
माल के 'ब्रांड', सेवाओं, कार्यक्रमों, व्यापार इकाई आदि का प्रचार	1,172	2,175	3,224	64.86
साउंड रिकॉर्डिंग सेवा	737	954	1,127	18.87
प्रायोजिकता सेवा	4,011	5,205	5,951	68.13
टीवी और रेडियो कार्यक्रम निर्माण	2,160	2,216	2,398	4.98
वीडियो टेप निर्माण	1,942	2,630	3,179	22.92
केबल ऑपरेटर सेवा	3,959	4,954	6,243	18.16
कुल योग	23,530	30,277	36,313	24.08

स्रोत: डीजी (प्रणाली) द्वारा उपलब्ध कराया गया एसीईएस डाटा

चार्ट संख्या 1



- पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धारितियों की संख्या में 24 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। तथापि, संबंधित राजस्व वृद्धि केवल 9.90 प्रतिशत हुई (पीएलए और सेनवेट)।

1.3. हमने यह विषय क्यों चुना

- 2014-15 में समाप्त तीन वर्ष की अवधि में प्रसारण सेवाओं, कार्यक्रम प्रबंधन, टीवी और रेडियो कार्यक्रम निर्माण, प्रायोजिकता सेवाएँ, वीडियो टेप निर्माण, ब्रांड और प्रायोजिकता सेवाओं के प्रचार जैसी सेवाओं से राजस्व में काफी वृद्धि हुई है।
- कर गणना पर प्रभाव सहित इन सेवाओं के बीच अंतर संबंध हैं।
- टीवी और रेडियो कार्यक्रम निर्माण, कार्यक्रम प्रबंधन जैसी सेवाओं से सेवा कर राजस्व में वृद्धि इन क्षेत्रों के लिये प्रमाणित/संभावित इंडस्ट्री विकास दर के अनुरूप नहीं थी।
- वर्तमान समय में इस क्षेत्र की करदेयता प्रभावित करने वाले कानून में कुछ मुख्य न्यायिक घोषणाएँ और संशोधन थे।
- इस क्षेत्र में अभी तक कोई विस्तृत लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

1.4. लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा निम्नलिखित निर्धारित करने के लिये की गई थी:

- (i) मनोरंजन क्षेत्र से संबंधित सेवा कर का उद्ग्रहण, संग्रहण और निर्धारण के संबंध में समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों/निर्देशों/व्यापार नोटिस आदि की पर्याप्तता और क्या कानून के प्रावधानों का उचित रूप से पालन किया जा रहा है;
- (ii) वित्त अधिनियम, सेवाकार नियमावली और अन्य संबंधित नियमावली में निर्धारित नियमों और विनियमों को लागू करने और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने में विभागीय प्रशासन की दक्षता एवं प्रभावकारिता; तथा
- (iii) अध्ययन के अंतर्गत विषय से संबंधित उस सीमा तक सेवा प्रदाताओं को सेवाकार अदा करना होगा, जो कर दायरे में शामिल हों/से बाहर हों।

1.5. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कवरेज

लेखापरीक्षा के दौरान हमने 17 आयुक्तालयों² (एकीकृत केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर के साथ-साथ एसटी सहित) का चयन किया और उन्हें शामिल किया जो इस लेखापरीक्षा में शामिल करने के लिए निर्धारित नौ सेवाओं के संबंध में वर्ष 2015-16 के लिए पूरे भारतीय राजस्व का 33 प्रतिशत था। हमने प्रत्येक चयनित कमिश्नरी में एक डिवीज़न और एक रेंज की लेखापरीक्षा की तथा चयनित आयुक्तालयों के क्षेत्राधिकार में 307 निर्धारितियों के अभिलेखों की विस्तृत जांच की। इस लेखापरीक्षा की अवधि 2013-14 से 2015-16 थी।

1.6. आभार

हम इस लेखापरीक्षा के आयोजन हेतु आवश्यक अभिलेख प्रदान करने में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) और इसके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

हमने 22 अगस्त 2016 को सीबीईसी अधिकारियों के साथ एंटी कांफ्रेंस में लेखापरीक्षा उद्देश्यों एवं लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र के बारे में चर्चा की थी तथा 31 मई 2017 को आयोजित एक्जिट कांफ्रेंस में लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं सिफारिशों पर चर्चा की गई। मंत्रालय ने मई 2017 में उत्तर प्रस्तुत किया जो इस प्रतिवेदन में शामिल किया था।

² अहमदाबाद एसटी, भुवनेश्वर एसटी, बेंगलुरु एसटी I, चण्डीगढ़-I, चेन्नै एसटी-II, कोचीन, दिल्ली एसटी-I, दिल्ली एसटी-II, दिल्ली एसटी-III, हैदराबाद एसटी, जयपुर, कोलकाता एसटी-II, मुंबई एसटी-III, मुंबई एसटी-IV, मुंबई एसटी-VI, मुंबई एसटी-VII, और नोएडा एसटी।

अध्याय 2: नीतिगत मामले

लेखापरीक्षा ने मनोरंजन उद्योग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित किया और इस उद्योग द्वारा अपनाई गई पद्धतियों का इस क्षेत्र की सेवाओं की करदेयता पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करने का प्रयास किया। इसका उद्देश्य यह जांच करना था कि क्या प्रावधानों में कोई अस्पष्टता तो नहीं थी जिससे इस तरीके की निर्वचन की संभावना न रह जाए कि ठेकागत करार का अविवेकपूर्ण मसौदा बन जाए जिसके कारण राजस्व से वंचित होना पड़े।

ब्रैंडिंग, सृजनात्मकता और ज्ञान द्वारा चलाए जा रहे मीडिया एवं मनोरंजन (एमएण्डई) जैसे उद्योग में मूल्यांकन के साथ-साथ कारोबारी ढाँचे के परिप्रेक्ष्य में कॉपीराइट का महत्वपूर्ण स्थान है। कॉपीराइट सेवाओं की करदेयता, फिल्म उद्योग में कॉपीराइट असाइनमेंट के प्रकार से संबंधित प्रावधानों और इसके आयामों की करदेयता का विश्लेषण नीचे दिया गया है:-

2.1. कॉपीराइट सेवाओं की करदेयता

कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 13 में यथा परिभाषित कॉपीराइट, इनमें प्रचलित हैं (क) मूल साहित्य, नाटक, संगीत एवं कला से जुड़े कार्य, (ख) सिनेमा फिल्म, और (ग) आवाज रिकार्डिंग। कॉपीराइट सेवाओं की करदेयता से संबंधित प्रावधानों पर नीचे चर्चा की गई है:-

शब्द “सेवा” को सेवा कर की शुरुआत के बाद पहली बार 1 जुलाई 2012 में परिभाषित³ किया गया था, केवल उनको छोड़कर जो नकारात्मक सूची में शामिल थे, जिन्हें सेवा के रूप में परिभाषित किया गया था तथा करयोग्य⁴ बनाया गया था। इसके अतिरिक्त, दिनांक 20 जून 2012 की अधिसूचना सं. 25/2012- एसटी द्वारा छूट के माध्यम से कुछ रियायतें प्रदान की गई थी।

³ वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65बी(44)

⁴ वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66बी

किसी भी गतिविधि की करदेयता का निर्णय करने के लिए “सेवा” का विश्लेषण करना बहुत महत्वपूर्ण है। “सेवा” का अर्थ किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के लिए की गई कोई भी गतिविधि और इसमें एक घोषित सेवा निहित होती है, लेकिन ऐसी गतिविधि शामिल नहीं की जाएगी जिसमें स्पष्टतः निम्नलिखित शामिल हों,-

- (i) बिक्री, उपहार अथवा किसी अन्य माध्यम से वस्तुओं या अचल संपत्ति के अधिकार का स्थानान्तरण; अथवा
- (ii) किसी भी वस्तु की आपूर्ति, सुपुर्दगी या ऐसा स्थानान्तरण जिसे संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (29ए) के अभिप्राय के अंतर्गत की जाने वाली एक बिक्री के रूप में माना जाता हो; और
- (iii) धन अथवा कार्रवाई योग्य दावे का अंतरण;

कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 18, कॉपीराइट के असाइनमेंट से संबंधित है; अर्थात् किसी मौजूदा कार्य में कॉपीराइट का मालिक अथवा भविष्य में कॉपीराइट का संभावित मालिक किसी व्यक्ति को पूरा अथवा आंशिक रूप से और या तो सामान्य रूप से अथवा कुछ सीमाओं के साथ और या तो पूरे के लिए अथवा उसके किसी भाग के लिए कॉपीराइट प्रदान कर सकता है।

सिनेमा फिल्म एवं ध्वनि रिकार्डिंग सेवा कॉपीराइट का अस्थायी स्थानान्तरण या उसके प्रयोग की अनुमति प्रदान करना या उसका उपयोग करना कॉपीराइट सेवा के अंतर्गत करयोग्य है, जैसाकि 1 जुलाई 2010 से धारा 65(105) (जेडजेडजेडजेडटी) के अंतर्गत परिभाषित किया गया था।

1 जुलाई 2012 से 31 मार्च 2013 के दौरान करदेयता केवल ध्वनि रिकार्डिंग तक ही सीमित थी। सिनेमा फिल्मों में अन्य सभी अधिकारों पर दिनांक 20 जून 2012 की अधिसूचना सं.25/2012-एसटी द्वारा छूट दी गई थी।

1 अप्रैल 2013 से सिनेमा हॉल अथवा सिनेमा थियेटर में दिखाए जाने वाली सिनेमा फिल्मों और मूल साहित्य, नाटक, संगीत अथवा कला से जुड़े कार्यों को छोड़कर बाकी कॉपीराइट सेवाओं पर सेवा कर देय⁵ है।

⁵ दिनांक 1 मार्च 2013 की अधिसूचना सं.3/2013-एसटी

2.2. फिल्म इंडस्ट्री में कॉपीराइट कार्य के प्रकार

सिनेमा फिल्मों के प्रदर्शन को कॉपीराइट से पूर्व कई गतिविधियों से गुजरना पड़ता है जिसमें ऐसी सेवायें निहित होती हैं जिन पर उपरोक्त उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार सेवा कर से छूट प्राप्त नहीं है। इस उद्योग में आपूर्ति श्रृंखला निर्माता से शुरू होती है फिर वितरक और प्रदर्शक/थियेटर मालिकों से होते हुए उपभोक्ताओं पर जाकर समाप्त होती है। निर्माता द्वारा बनाई गई फिल्मों का फिल्म वितरण करार के माध्यम से वितरकों को सामान्य तौर पर 'रंगमंचीय' अथवा 'गैर-रंगमंचीय' अधिकारों के रूप में सिनेमा फिल्मों और/फिल्मों में ध्वनि रिकार्डिंग की कॉपीराइट के लाइसेंस/असाइनमेंट द्वारा वाणिज्यिक शोषण किया जाता है। कॉपीराइट के रंगमंचीय अधिकारों के अंतर्गत वितरण के अधिकार, उप-लाइसेंस, बाजार, प्रचार, प्रसार और थियेटर्स में फिल्मों का प्रदर्शन शामिल है। फिल्मों में कॉपीराइट का गैर-रंगमंचीय अधिकारों के रूप में सैटलाइट अधिकार, संगीत अधिकार, रेडियो अधिकार, वीडियो (डीवीडी) अधिकार आदि के माध्यम से शोषण किया जाता है।

ऐसे करारों में निम्नलिखित सामान्य करारों के साथ राजस्व साझाकरण आधार पर उक्त रंगमंचीय अधिकार प्रदान करने के प्रति कॉपीराइट सेवा के प्रति आपसी सहमति प्रदान की जाती है।

- सेवा प्राप्तकर्ता के रूप में वितरक, प्रदत्त अधिकारों के प्रति निर्माता को न्यूनतम गारंटी अथवा प्राथमिक सहमति का भुगतान करता है।
- निर्माता वितरक को किसी अन्य पक्ष (अर्थात् उप वितरक/प्रदर्शक) को निश्चित क्षेत्र के भीतर सभी बड़े/छोटे क्षेत्रों के लिए प्रदत्त कॉपीराइट की उप-लाइसेंसिंग के लिए कमीशन देगा तथा फिल्म रिलीज़ होने की तिथि से पूर्व दिए गए उप लाइसेंस से वितरण राजस्व को निर्माता एवं वितरक के बीच बांटा जाएगा।
- करार में निर्धारित सीमा के भीतर निर्माता की ओर से प्रचार, विपणन और विज्ञापन पर व्यय करके फिल्म को प्रमोट करने का दायित्व भी वितरक पर होगा। ये सेवायें भी निर्माता की कारोबारी सहायक सेवाओं की प्रकृति की हैं।

- फिल्म के रिलीज़ और प्रदर्शन से प्राप्त राजस्व को निर्माता एवं वितरक को भुगतान की गई न्यूनतम गारंटी तथा प्रचार व्यय के प्रति वितरक के शेयर में रखा गया है। शुद्ध राजस्व को तब 'अधिक आय' के रूप में माना जाता है जिसे स्थानान्तरण करार की शर्तों के अनुसार पूर्व-निर्धारित अनुपात में निर्माता और वितरक के बीच केवल प्रदर्शन राजस्व से सहज रूप में माना जाता है।
- जहां लाभ साझाकरण करार किया जाता है, वहां कुछ मामलों में वितरक निर्माता को पहले अग्रिम (समायोजित किए जाने हेतु) प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, वितरक को वितरण एवं प्रदर्शन व्यवस्थाओं से वसूली की एक निर्धारित प्रतिशतता प्राप्त होती है।

वितरक द्वारा प्रदान की गई गतिविधियां क्लाइंट (इस मामले में निर्माता) से संबंधित या उसे प्रदत्त अथवा बनाई गई सामग्री (इस मामले में कॉपीराइट) के विपणन या प्रमोशन, क्लाइंट की ओर से सेवा हैं और ऐसी गतिविधि के लिए ये अचानक अथवा सहायक सेवा, सेवाओं की प्रकृति की हैं। इस प्रकार, ये 'कारोबारी सहायक सेवा' की सीमा के अंतर्गत आते हैं जैसा कि वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(19) के खण्ड (i), (vi) तथा (vii) में परिभाषित है।

इस प्रकार, रंगमंचीय अधिकारों के शोषण में वितरण, उप-लाइसेंसिंग, प्रचार इत्यादि जैसी कई गतिविधियां शामिल हैं जो करयोग्य सेवाओं की सीमा में आती हैं। निर्धारित अवधि के लिए संबंधित क्षेत्र में फिल्मों के रंगमंचीय प्रदर्शन की परिणत गतिविधि के लिए केवल कॉपीराइट सेवार्य हैं जिस पर कानून द्वारा सेवा कर से छूटप्राप्त है। इस मत का न्यायिक घोषणाओं द्वारा भी समर्थन किया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है:

- मै. एजीएस इंटरटेनमेंट प्रा. लि. के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया (जून 2013) कि निर्माता एवं वितरक, वितरक एवं उप-वितरक अथवा क्षेत्र वितरक या प्रदर्शक (थियेटर मालिक) के बीच कारोबारी लेनदेन के विभिन्न संस्करण माध्यम वस्तुओं की बिक्री नहीं है। सिनेमा फिल्म के निर्माण से लेकर इसे दिखाए जाने तक कई वाणिज्यिक

गतिविधियां की जाती हैं और सेवा कर एक मूल्यवर्धित कर है जो वाणिज्यिक गतिविधियों से जुड़े कारोबारी लेनदेन पर लागू होता है।

- मै. मीडिया वन ग्लोबल इंटरटेनमेंट लि. के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया (जून 2013) कि फिल्म के प्रदर्शकों और फिल्म के वितरक/उप-वितरक के बीच अंतरण के विभिन्न प्रकार एवं उनके बीच राजस्व साझाकरण करार न तो 'नकारात्मक सूची सेवाओं' में हैं और न ही इन पर छूट प्राप्त है।

वितरण करारों की जांच पर हमने देखा कि सिनेमा फिल्मों की कॉपीराइट के वाणिज्यिक शोषण के लिए फिल्म उद्योग में काम करने के तरीके में उनसे अर्जित राजस्व से अतिरिक्त जुड़ाव के लिए 'रंगमंचीय अधिकार के असाइनमेंट' के अंतर्गत सभी गतिविधियां करते हुए तथा 1 मार्च 2013 की अधिसूचना संख्या 3/2013-एसटी के लाभ के अंतर्गत सेवा कर के भुगतान से छूट का दावा करना शामिल था। हालांकि विधायिका का आशय सिनेमा हाल अथवा थियेटर सिनेमा फिल्मों के प्रदर्शन से सेवा को छूट प्रदान करना था, जबकि करारों में अन्य गतिविधियां जिन पर कर से छूट प्राप्त नहीं था, उनके निष्पादन के प्रति आपसी सहमति का उल्लेख था। करारों से यह स्पष्ट था कि रिलीज की तिथि, से पूर्व उप-लाइसेंसिंग, वितरण व्यय प्रचार एवं प्रसार से प्राप्त आय सभी को 'रंगमंचीय अधिकार के स्थानान्तरण के अंतर्गत शामिल किया गया है। इन्हें पूरी तरह से छूट प्राप्त के रूप में माना जाता है जिसके कारण ये करधान से बच जाते हैं जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

2.3. गैर-रंगमंचीय अधिकारों/रंगमंचीय अधिकारों सहित अन्य गतिविधियों को मिलाना

हमने दो ऐसे मामले देखे जहां रंगमंचीय अधिकारों/अन्य निर्माण गतिविधियों को रंगमंचीय अधिकारों के साथ मिलाने के कारण वाणिज्यिक गतिविधियां करधार से बच गईं। आवश्यक विवरण न मिल पाने के कारण इन मामलों में निहित राजस्व की गणना नहीं की जा सकी। नीचे मामलों पर प्रकाश डाला गया है:-

मुंबई एसटी-VI कमिश्नरी में मै. इरोज़ इंटरनेशनल मीडिया के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने देखा कि मुंबई एसटी-IV कमिश्नरी में मै. सोहेल खान प्रोडक्शन एवं मै. सलमान खान वेंचर्स प्राइवेट लि. के मामले में हिन्दी फिल्म “जय हो” तथा “बजरंगी भाईजान” के निर्माताओं ने रंगमंचीय अधिकारों के असाइनमेंट को समस्त राजस्व/आय के रूप में मानते हुए सेवा कर के भुगतान से छूट का दावा किया था। 2013-14 के दौरान किए गए करार के अनुसार, लाइसेंसिकृत अधिकारों में रंगमंच के साथ-साथ गैर-मंचीय अधिकार, दोनों निहित थे। निर्धारितियों ने रंगमंचीय अधिकारों के लाइसेंस शुल्क के प्रति समस्त आय मानते हुए सेवा कर के भुगतान से छूट का दावा किया था। निर्धारितियों ने पूरी आय रंगमंचीय अधिकारों के लाइसेंस शुल्क के प्रति मानते हुए सेवा कर के भुगतान से छूट का दावा किया था। इस प्रकार, छूट का अनुचित लाभ लेने के लिए केवल रंगमंचीय अधिकारों के प्रति पूरी आय को मानते हुए करार का मसौदा तैयार किया गया था, जिसके कारण गैर-रंगमंचीय अधिकारों की वाणिज्यिक गतिविधियों और फिल्म के प्रदर्शन से पूर्व की गतिविधियों के प्रति राजस्व बचाया गया। रंगमंचीय और गैर-रंगमंचीय अधिकारों के विभाजन के अभाव में कराधान से बची आय का निर्धारण नहीं किया जा सका।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (दिसम्बर 2016), मंत्रालय ने बताया (मई 2017) कि टंकण त्रुटि के कारण “गैर-रंगमंचीय अधिकारों” को उक्त करार के अनुबंध-2 के क्रमांक 1 के अंतर्गत “रंगमंचीय अधिकार” के मुख्य शीर्ष के तहत दर्ज कर दिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने मै. इरोज़ इंटरनेशनल मीडिया लि. की खाता बही, मै. सलमान खान वेंचर्स प्राइवेट लि. एवं मै. सोहेल खान प्रोडक्शन प्रा. लि. के इंडाइसेज़ की प्रतियों की जांच की और उक्त आय वास्तव में केवल रंगमंचीय अधिकारों से संबंधित थी।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, चूँकि लेखापरीक्षा द्वारा बही और इंडाइसेज़ के सत्यापन से पता चला कि “लाइसेंस करार के अनुसार रंगमंचीय करार” शब्द का प्रयोग ही बही और इंडाइसेज़ में किया गया था। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि गैर रंगमंचीय अधिकार बही/इंडाइसेज़ में शामिल नहीं हैं क्योंकि करार के अनुसार रंगमंचीय अधिकारों की परिभाषा

में गैर-रंगमंचीय अधिकार भी शामिल थे और इंडाउसेज़ एवं बही, दोनों में शब्द “लाइसेंस करार के अनुसार रंगमंचीय अधिकार” का प्रयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त, विभाग ने ऐसा कोई वैध साक्ष्य नहीं दर्शाया जिससे यह सिद्ध होता कि यह टंकण त्रुटि थी।

2.4. रंगमंचीय अधिकारों के अंतर्गत वितरण आय का समावेश

फिल्मों का वितरण अधिकार लेने हेतु निर्माता को अदा की गई सहमत राशि के अलावा, वितरक/संगीत निर्माता कंपनी निर्माता की ओर से प्रिंट, प्रचार एवं विज्ञापन पर फिल्म के संगीत/फिल्म को प्रमोट करने के लिए एक निर्धारित राशि खर्च करता है जिसे बाद में अधिक आय या प्रदर्शन राजस्व से समायोजित किया जाता है। यह राशि केवल ‘कारोबारी सहायता सेवा’ श्रेणी के अंतर्गत करयोग्य सेवा प्रदान करने हेतु वितरक को अधिक आय पर सहमति प्रदान करना है जो ‘रंगमंचीय अधिकारों’ के रूप के अंतर्गत कराधान से बच जाती हैं। चूँकि यह गतिविधि वितरक द्वारा फिल्म के रिलीज़ और प्रदर्शन से पूर्व की जाती है तथा इस प्रकार की सेवा को छूटप्राप्त मानने के लिए यह वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय V की धारा 66डी में भी सूचीबद्ध नहीं है, इसलिए ऐसी गतिविधियों पर सेवा कर वसूला जाना चाहिए था।

मुंबई एसटी-IV कमिश्नरी में मै. अरबाज खान प्रोडक्शन प्रा. लि., मै. रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट प्रा. लि. तथा मुंबई एसटी- IV कमिश्नरी में मै. इरोज इंटरनेशनल मीडिया प्रा. लि. के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने देखा कि वितरकों⁶ ने 2012-13 से 2014-15 के दौरान ₹ 50.56 करोड़ के प्रचार एवं वितरण व्यय से संबंधित वितरण आय की वसूली की। लेकिन वितरण आय पर ₹ 6.21 करोड़ राशि के सेवा कर का भुगतान नहीं किया क्योंकि पार्टियों ने इसे रंगमंचीय अधिकारों के असाइनमेंट के रूप में मानते हुए आय या राजस्व के छूट का दावा किया।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (दिसम्बर 2016), मंत्रालय ने कहा (मई 2017) कि वितरण व्यय, प्रचार व्यय आदि रंगमंचीय अधिकारों के अभिन्न भाग हैं।

⁶ मै. सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लि., मै. यूटीवी सॉफ्टवेयर कम्यूनिकेशन लि., मै. स्टेलर फिल्म प्रा. लि., मै. इरोज इंटरनेशनल मीडिया लि., और मै. रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट प्रा. लि.

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूँकि ये सेवायें स्वतंत्र सेवायें हैं तथा इन्हें रंगमंचीय सेवाओं के रूप में नहीं माना जा सकता है। जैसा कि पहले ही पैरा 2.3 (मै. एजीसी इंटरटेनमेंट प्रा. लि. के मामले में) उल्लेख किया गया है, मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया (जून 2013) कि सिनेमा फिल्म के निर्माण से लेकर इसके प्रदर्शन तक वाणिज्यिक गतिविधियां की जाती हैं और सेवा कर मूल्य वर्धित कर है जो वाणिज्यिक गतिविधियों वाली आय के कारोबारी लेनदेन पर लागू होती हैं।

सम्पूर्ण आय को रंगमंचीय अधिकारों के रूप में मानते हुए करार का मसौदा तैयार करने के परिणामस्वरूप कारोबारी सहायता सेवाओं और गैर-रंगमंचीय अधिकारों जैसी गतिविधियों के प्रति आय की करदेयता पहलुओं की अनदेखी की गई।

2.5. सीमाओं सहित स्थानांतरित कॉपीराइट को निरंतर रूप से स्थानांतरित के रूप में मानना

अंतरण को वस्तुओं की बिक्री के रूप में मानने के लिए स्वामित्व के स्थानान्तरण, अधिग्रहण के अधिकार के स्थानांतरण और प्रयोग के लिए अधिकार का स्थानांतरण करना अपेक्षित है। कुछ न्यायिक घोषणाओं⁷ में भी यह निर्णय दिया गया कि जब तक निर्माता अपने कॉपीराइट का पूरी तरह से परित्याग नहीं कर देता, तब तक प्रयोग हेतु अधिकार का स्थानांतरण पूरी तरह से कॉपीराइट का अस्थायी स्थानांतरण है अथवा इस आशय से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इसके प्रयोग की अनुमति प्रदान करना है, और ऐसे मामलों में ऐसे कॉपीराइट स्थानांतरण पर सेवा कर की वसूली लागू की जाएगी।

हमने ऐसे करार देखे जहां यह उल्लेख था कि कॉपीराइट हमेशा के लिए दिए गए थे। लेकिन इस करार में शर्तों/निर्वचन की कुछ विशेषताएं वास्तव में इस

⁷ बीएसएनएल बनाम संघ सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, ((2006) 3 एससीसी 1), और एजीएस इंटरटेनमेंट प्राइवेट लि. बनाम संघ सरकार के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय ((2013) 32 एसटीआर 219)

प्रकार की थी कि वितरक को केवल प्रतिबंधी अधिकार दिए जा रहे थे और निर्माता का कॉपीराइट पर लगातार नियंत्रण था।

इस प्रकार, अधिकारों के स्थानान्तरण की प्रकृति शर्तों के अनुसार थी अथवा प्रतिबंधकारी थी और न कि आउटराइट बिक्री। हमने तीन ऐसे मामले देखे जहां यद्यपि कई शर्तों के साथ अधिकार प्रदान किए गए थे, यह नित्य अवधि के लिए अधिकार के स्थानान्तरण के रूप में माना गया था जिसके कारण सेवा कर से राजस्व की वसूली नहीं की जा सकी। मामलों पर नीचे चर्चा की गई है:-

2.5.1 मुम्बई एसटी-IV कमिश्नरी में मै. अरबाज खान प्रोडक्शन प्रा. लि. और मै. रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट प्रा. लि. के रिकॉर्ड की जांच के दौरान यह देखा गया कि निर्धारिती ने 2012-13 और 2013-14 के दौरान क्रमशः ₹ छः करोड़ और ₹ नौ करोड़ के प्रतिफल पर एक निरंतर अवधि के लिए उनकी संबंधित फिल्म दबंग 2 और चेन्नै एक्सप्रेस के मै. सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज लि. एक संगीत कंपनी के संगीत/आवाज रिकॉर्डिंग के कॉपीराइट प्रदान किये। दोनों मामलों में, निर्धारिती ने निरंतर अवधि के लिए प्रदान किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए सेवाकर अदा नहीं किया। यद्यपि, हमने देखा कि निर्धारिती ने अपने अधिकारों को नहीं छोड़ा और फिल्म में संगीत प्रोत्साहन और सहमत शर्तों पर दिये गये अधिकारों के आगे उपयोग से रायल्टी शेयर प्राप्त करने इस के लिए म्यूजिक कंपनी पर शर्तें लागू की। इस प्रकार, यह कार्य अधिकारों का अस्थाई हस्तांतरण है जिस पर ₹ 1.85 करोड़ का सेवा कर उद्ग्राह्य है।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (दिसम्बर 2016), मंत्रालय ने कहा (मई 2017) कि कॉपीराइट हस्तांतरण की सतत् प्रकृति को किसी अधिकार के रखने या न रखने या नियंत्रण के आधार पर बदला/परिवर्तित नहीं किया जा सकता और प्रदानकर्ता ने केवल करार में निर्दिष्ट सीमा तक संगीत के प्रयोग के अधिकार हस्तांतरित किये। उन्होंने यह भी कहा कि प्रयोग के ऐसे अधिकार वास्तविक संगीत में प्रदानकर्ता द्वारा रखे गये अधिकारों और एक निरंतर अवधि के लिए एक विशेष सीमा के लिए प्रदान/सौंपा जाने वाले ऐसे प्रयोग अधिकार से अलग है, ऐसी कॉपीराइट सेवा के ऐसे हस्तांतरण पर कोई सेवा कर उद्ग्राह्य नहीं है।

बीएसएनएल बनाम भारत संघ (2006) मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में माल के उपयोग के आधार के हस्तांतरण के रूप में लेन-देन को ध्यान में रखने की विशेषताओं को दर्शाया गया है। एक विशेषता यह है कि जिस अवधि

के दौरान हस्तांतरिती के पास वैधानिक अधिकार होते हैं, तो हस्तांतरणकर्त्ता को अलग रखना होता है। कॉपीराइट प्रदान करने वाले करारों में, करारों के खंड में प्रदानकर्त्ता द्वारा कई प्रतिबंध लगाये गये थे। उदाहरणतः मै. रैड चिलीज़ इंटरटेनमेंटस प्रा. लिमि. (प्रदानकर्त्ता) और मै. सुपर कैसेट्स (इंस्ट्रीज लिमिटेड (प्राप्तकर्त्ता) के बीच करार में यद्यपि आवाज रिकॉर्डिंग और म्यूजिकल कार्यों में कॉपीराइट प्राप्तकर्त्ता को प्रदान किया गया था, क्लॉज 9(एफ) के अनुसार, प्रदानकर्त्ता के पास वाणिज्यिक या गैर वाणिज्यिक प्रयोग के लिए प्रदानकर्त्ता या इसकी छोटी या सहायक कंपनियों द्वारा सृजित/तैयार किये गये किसी कार्यक्रम या भावी फिल्म में किसी भी अवधि के सभी गानों की आडियो और/या विडियो क्लिप डालने के लिए पूर्ण और अबाधित अधिकार हैं। चूंकि अनन्यता की शर्त को पूरा नहीं किया गया था, मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है।

2.5.2 मुम्बई एसटी-IV कमिश्नरी में, मै. अरबाज खान प्रोडक्शन प्रा. लिमि. ने दिसम्बर 2012 में रिलिज हुई फिल्म दंबग 2 के लिए विभिन्न वितरक जैसे मै. स्टैलर फिल्मस, मै. रेड सन इंटरप्राइज, मै. ओम मुवीज, मै. अंकित मुवीज आदि से पूर्व-उत्पादन करार के अंतर्गत वापसी योग्य और गैर वापसी योग्य अग्रिमों के रूप में ₹ 33 करोड़ प्राप्त किये। हमने पाया कि अवधि (अर्थात् जुलाई 2010 से जून 2012), जब 'अस्थाई' हस्तांतरण पर सेवा कर लगता था, के दौरान स्थायित्व पर वितरकों से मंचीय अधिकारों के प्रदान करने के रूप में निर्धारिती ने उक्त को ध्यान में रखते हुए इन अग्रिम पर सेवाकर से छूट का दावा किया यद्यपि, फिल्म के रिलिज (दिसम्बर 2012) होने के बाद, निर्धारिती ने उसी वितरक के साथ करार को संशोधित किया और अग्रिमों के रूप में प्राप्त शर्तों के समायोजन के अस्थाई हस्तांतरण के लिए मंचीय अधिकार प्रदान किये। इस प्रकार, कॉपीराइट अधिकारों की कर देयता अवधि और गैर-देयता अवधि के दौरान हस्तांतरण (जैसे स्थाई/अस्थाई) की प्रकृति के संबंध में उक्त वितरक के साथ ही अलग-अलग निर्णय लिये गये थे जिसके परिणामस्वरूप कराधान से राजस्व छूट गया।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (दिसम्बर 2016), मंत्रालय ने कहा (मई 2017) कि यह उनके द्वारा किये गये करार की निबंधन और शर्तों के निर्णय के लिए निविदाकरण पार्टियों की अपनी ईच्छा पर है जब तक कि उक्त को कानून द्वारा अनुमति न मिल जाये।

लेखापरीक्षा ने पुनः दोहराया कि मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छूट प्रदान करने के पीछे तथा विशिष्ट सेवा को छूट देने के पीछे सरकार की मंशा और उद्देश्य असफल न हो।

कॉपीराइट के हस्तांतरण के संबंध में करार विरोधाभासी प्रावधान है। एक ओर यह निरंतरता में हस्तांतरण के रूप में मानी जाती है परंतु दूसरी ओर करार में विशिष्ट प्रावधान है जो प्रोड्यूसर/प्रदानकर्ता के पास रहे कॉपीराइट की विषय-वस्तु के उपयोग के अधिकार के विपरीत नजर आते हैं।

2.6 सेवाओं को निर्यात के रूप में मानकर कर से बचना

सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 6ए(1) के अनुसार, सेवा कर के भुगतान से छूट का लाभ केवल विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के पर ही प्राप्त होगा। सेवा नियमावली, 2012 के प्रावधान के अंतर्गत नियम 2(i)(ख)(iii) के अंतर्गत सेवा प्राप्तकर्ता की स्थिति को निर्धारित करते हुए, जहां सेवाएं एक से अधिक स्थापना द्वारा प्रयुक्त की गई हैं, वहां सेवा का प्रत्यक्ष उपयोग करने वाली स्थापना प्रावधान के अंतर्गत आएगी।

हमने सेवा प्राप्तकर्ता (प्राप्तकर्ताओं) को प्रमाणित करने के लिए विदेशी सत्वों के साथ और गैर-कर योग्य क्षेत्र में प्रावधान के अंतर्गत करार करने वाले कलाकार/निर्माता के मामलों भी देखे और इस पर भारत से बाहर उपलब्ध कराई गई सेवा के भाग के निमित्त इसे निर्यात माना गया था जिसके कारण कर को बचाया गया। ऐसे तीन निदर्शी मामलों नीचे दिये गये हैं:

2.6.1 हमने दो मामले पाए जहां भारत और विदेश में एक ही फिल्म शॉट के लिए, विदेश में शॉट किए गए भाग के लिए कलाकार का भुगतान विदेशी कंपनियों से कराया गया था, इसलिए सेवा बिना किसी कर देयता के साथ सेवा के निर्यात के रूप में दिखाई गई थी।

क) मुम्बई एसटी-IV कमिश्नरी में, श्री रणबीर कपूर ने मै. धर्मा प्रोडक्शनस प्रा. लिमि. द्वारा तैयार की गई हिन्दी फिल्म शीर्षक 'ए दिल है मुश्किल' में काम किया जिसे भारत और न्यूयॉर्क दोनों में शॉट किए गए। उसने यूके में फिल्म शॉट के लिए लंदन के आधार पर मै. एडीएचएम फिल्मस लिमि. (यूके) एक विदेशी कंपनी से ₹ 6.75 करोड़ का प्रतिफल प्राप्त किया परंतु सेवा के निर्यात के रूप में उक्त को दर्शाते हुए ₹ 83.43 लाख के सेवाकर का भुगतान नहीं किया।

यूके सरकार की आधिकारिक साईट (<https://beta.companies.house.gov.uk/company/>), से प्राप्त वेब-आधारित सूचना से पता चला कि विदेश आधारित मै. एडीएचएम फिल्मस लिमिटेड (यूके) को एक विदेशी नागरिक (ब्रायन ब्रेक/हेमन आस्कर और भारतीय मूल के दो निदेशक अर्थात श्री अनिल कुंदन थडानी और श्री आशीष राजीव महरोत्रा) के निर्देशन के अंतर्गत पंजीकृत पते (स्यूट 303, 50 ईस्टकैसल स्ट्रीट, लंदन डब्ल्यूडब्ल्यू 8ईए) पर नवम्बर 2014 में मूवी के निर्माण के लॉच पर दिसम्बर 2014 में तैयार की गई थी। आकस्मिक रूप से, जैसा कि वेबसाईट से ज्ञात हुआ, उक्त पते और उक्त विदेशी नागरिक अर्थात श्री ब्रायन ब्रेक, तीन फर्म (बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमि., गलानी इंटरटेनमेंट लि., वरगो इंटरटेनमेंट लिमि.) पर भारतीय निदेशक अर्थात क्रमशः कोहली कुणाल गलानी, विजय कुमार रामदास और वाशू लीलाराम भगनानी के साथ दिखाई गई थी।

ख) इसी प्रकार, श्री नंदामुरी तारका रामा राव, हैदराबाद एसटी कमिश्नरी में सीने कलाकार के रिकॉर्ड की जांच के दौरान, हमने पाया कि मै. वाईबैरेंट विजुअल्स लिमि. लंदन यूके निदेशक के साथ एक करार (जुलाई 2015) के अंतर्गत, कलाकार ने 'नन्नाकू प्रेमाथो' शीर्षक तेलूगु मुवी में काम करने के लिए ₹ 7.33 करोड़ की राशि प्राप्त की और इसे सेवा का निर्यात दर्शाते हुए ₹ 1.10 करोड़ के सेवा कर के भुगतान छूट का दावा किया।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (दिसम्बर 2016), श्री रणबीर कपूर के मामले में मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा (मई 2017) कि सेवाएं (अभिनय सेवाएं) एक से अधिक स्थान पर दी गई थी और एक से अधिक स्थापना पर प्रयुक्त नहीं की गई थी। चूंकि फिल्म को कई स्थानों पर शॉट किया गया और दी गई सेवा के स्थान का अधिकतम अनुपात भारत से बाहर है, इसलिए उक्त सेवा करयोग्य नहीं है। यद्यपि नंदामुरी तारका के मामले में, मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा (मई 2017) कि एससीएन ₹ 1.10 करोड़ के लिए जारी कर दिया गया था और कि सभी क्षेत्राधिकारी अधिकारियों को यह सत्यापित करने के निर्देश दे दिये गये थे कि क्या इसी क्षेत्र में किसी अन्य निर्धारिती द्वारा उक्त छूट का लाभ उठाया गया था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह सेवाएं (अभिनय सेवा) मै. धर्मा प्रोडक्शनस द्वारा भारत में निर्मित की गई मूवी का अविभाज्य भाग है। इसलिए ये कहना कि इसे भारत में संस्थान द्वारा उपयोग नहीं किया गया

था, सही नहीं है। इसके अतिरिक्त, श्री नंदामुरी तारका रामा राव के मामले में मंत्रालय द्वारा उक्त आपत्ति को स्वीकार कर लिया गया था। इसके अलावा सभी पार्टियों (जैसे मै. धर्मा प्रोडक्शन, मै. एडीएचएम फिल्मस लिमि. (यूके) और श्री रणबीर कपूर) के बीच लेन-देनों के पूर्ण चक्र की जांच यह जानने के लिए करनी आवश्यक है कि देय सेवा कर को इस मामले में उद्ग्रहित किया गया या नहीं।

2.6.2 मुम्बई एसटी-IV कमिश्नरी में मै. प्राइम फोकस लिमि. (पीएफएल) के रिकॉर्डों की जांच के दौरान, हमने पाया कि मै. पीएफएल नीदरलैंड्स में स्थित प्राइम फोकस वर्ल्ड की ओर से भारतीय निर्माण हाऊस से भारत में परिवर्तन कारोबार (विजुअल इफैक्ट, एडिटिंग आदि)⁸ कर रहा है।

निर्धारिती ने भारतीय निर्माण कंपनियों को दिये गये परिवर्तन कारोबार के संदर्भ में बीजको की बिलिंग के लिए गैर-कर योग्य क्षेत्र में विदेशी सहायक कंपनियों (मै. प्राइम फोकस इंटरनेशनल लिमि., यूके) के साथ सेवा स्तर करार किया। इसके कारण 2015-16 की अवधि के दौरान ₹ 1.34 करोड़ का सेवाकर छूट गया।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (दिसम्बर 2016), मंत्रालय ने सूचित किया (मई 2017) कि उन्होंने 2012 से 2015 से पूर्व एससीएन में निर्धारिती के निर्यात प्रावधानों का लाभ न देने के लिए अक्टूबर 2016 में यह दावा करते हुए एक अपील दायर की कि सेवा का निष्पादन सेवा नियमावली 2012 के प्रावधान के अंतर्गत नियम 4(ए) के अंतर्गत भारत में है। इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि वर्ष 2015-16 के लिए आवधिक एससीएन भी जारी किया गया था।

ये मामले यह सुझाव देते हैं कि इस क्षेत्र में सेवा नियमावली, 2012 के प्रावधान होने के अवांछनीय लाभ लेने के लिए गैर- कर योग्य क्षेत्र में कर योग्य सेवा का भाग प्रदान करते हुए कर चोरी करने वाले ऐसे कई निर्धारिती हो सकते हैं।

2.7 प्रायोजिकता सेवाओं के अंतर्गत सेनवेट क्रेडिट का अनुचित लाभ उठाना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम 3 किसी करयोग्य आऊटपुट सेवा को प्राप्त करने के लिए किसी सेवा प्रदाता द्वारा इनपुट सेवा कर शुल्क के क्रेडिट को अनुमत करता है। नियम 2(पी) के 'आऊटपुट सेवा' इन सेवा से

⁸ 2डी आडियोविजुअल/चलते चित्र से स्टीरियो 3डी ऑडियो विजुअल/चलते चित्र के परिवर्तन के लिए सॉफ्टवेयर कार्यक्रम नामक दृश्य जो एक स्वामित्व प्रणाली है।

बाहर है जहां पर सारा सेवा कर सेवा के प्राप्त कर्त्ता द्वारा भुगतान किया जाना देय है।

दिनांक 29 जून 2012 की अधिसूचना सं. 30/2012-एसटी की प्रविष्टि 3 के अनुसार किसी कॉरपोरेट निकाय से प्राप्त प्रायोजक सेवा के मामले में, प्रायोजक जो सेवा प्राप्तकर्त्ता हैं, वे सेवा कर अदा करने के हकदार हैं। इसलिए प्रायोजक सेवा को कार्यक्रम आयोजित करने वाले सेवा प्रदाताओं के हाथों में आऊटपुट सेवा के रूप में नहीं समझा जा सकता।

मै. रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्रा. लिमि., मै. इंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया प्रा. लिमि. (मुम्बई एसटी-III), मै. नाईट राईडर्स स्पोर्ट्स प्रा. लिमि. (मुम्बई-एसटी-IV) और मै. विजक्राफ्ट इंटरनेशनल इंटरटेनमेंट लिमि. (मुम्बई एसटी-VI) के रिकॉर्ड की जांच के दौरान हमने पाया कि निर्धारिती 2012-13 से 2015-16 के दौरान कार्यक्रम प्रबंधन, कार्यक्रम निर्माण सेवा, प्रायोजक सेवाएं आदि से जुड़े हैं। उन्होंने कई कार्यक्रमों के आयोजन करने के लिए निकाय से प्रायोजक सेवाओं के अंतर्गत ₹ 246.63 करोड़ राजस्व अर्जित किया जिस पर विपरीत प्रभार के अंतर्गत प्रायोजक (अर्थात् सामाजिक निकाय) द्वारा सेवा कर देयता का भुगतान किया गया था।

चूंकि उपयुक्त सभी मामलों में कर देयता प्रायोजक द्वारा वहन की गई है, अतः सेवा प्राप्तकर्त्ता के रूप में निर्धारिती (सेवा प्रदाता) द्वारा प्रदान की गई सेवा पूर्वोक्त उद्धृत नियम 2(पी) के अनुसार निर्धारिती की आऊटपुट सेवा नहीं है। इसलिए ऐसी आऊटपुट सेवाओं से संबंधित इनपुट सेवाओं पर निर्धारिती द्वारा प्राप्त ₹ 14.71 करोड़ राशि का सेनवेट क्रेडिट नियम 3 का उल्लंघन है।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (सितम्बर और दिसम्बर 2016 के बीच), मंत्रालय ने कहा (मई 2017) कि छूट अधिसूचनाएं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 93 द्वारा दी गई शक्ति के अंतर्गत जारी की गई हैं और कि दिनांक 29 जून 2012 की अधिसूचना वित्त अधिनियम 1994 की धारा 93 के अंतर्गत जारी की गई एक छूट अधिसूचना नहीं थी। इसलिए मंत्रालय ने कहा की प्रायोजक सेवा सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 6 के अंतर्गत उलटाव पर छूट प्राप्त सेवाओं से समानीकृत नहीं किया जा सकता जिस पर की वारंटी दी जाती है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह लेखा-परीक्षा द्वारा इंगित किये गये मामले के लिए प्रासंगिक नहीं है और उत्तर नियम 2(पी) अर्थात् जो 'आऊटपुट सेवा' को वर्जित बनाता है, जहां सारा सेवा कर सेवा प्राप्तकर्त्ता द्वारा अदा किया जाना है, के संबंध में भी मौन है।

मै. विजक्राफ्ट इंटरनेशनल लिमि. के मामले में, हमने यह भी देखा कि 2014-15 से 2015-16 के बाद की अवधि हेतु निर्धारिती और उनके प्रायोजकों के बीच हुए करार में दी गई सेवाओं से अर्जित आय को ब्रांड/ कार्यक्रम के प्रमोशन और विपणन सेवाओं के अंतर्गत आंका गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य प्रायोजन सेवाओं के अंतर्गत सेनवेट क्रेडिट की प्राप्ति की अपात्रता के कारण ऐसा किया गया था क्योंकि यह सेवा प्राप्तकर्ता के रूप में रिवर्स प्रभार के अंतर्गत प्रायोजकों की देयता है। इस प्रकार यह प्रमाणित है कि निर्धारिती ने सेनवेट क्रेडिट के लाभ हेतु बाद की अवधि में सेवा के विभिन्न वर्गीकरण का प्रयोग किया है। सेवा कर संविधि में प्रायोजक सेवा और ब्रांड/कार्यक्रमों के प्रमोशन और विपणन सेवाओं की परिभाषा के अभाव के कारण निर्धारिती को सेनवेट क्रेडिट के अवांछित लाभ प्राप्त हुए।


हमारे द्वारा बताए जाने पर (दिसम्बर 2016), मंत्रालय ने यह स्वीकार करते हुए बताया (मई 2017) कि एक एससीएन जारी किया जा रहा था।

सिफारिशें

1. चूंकि निर्धारिती अधिकारों के हस्तांतरण के लिए करार की ड्राफ्टिंग करते समय 'अभिनेयता' और 'गैर-अभिनेयता' की परिभाषा में अस्पष्टता के कारण अनुचित लाभ उठा रहे हैं अतः इन परिभाषाओं में वैधानिक स्पष्टता लाने की आवश्यकता है।
2. व्याख्याओं के अवांछित लाभ से बचने के लिए और निर्यात लाभ देने में विधान के अभिप्राय को सुरक्षित करने के लिए सेवा नियमों के प्रावधान को सेवा विशिष्ट मामलों से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने की आवश्यकता है।
3. मनोरंजन क्षेत्र में प्रायोजक सेवाओं के अंतर्गत सेनवेट क्रेडिट के लिए उपलब्ध प्रावधानों में मौजूदा अस्पष्टता को नियमों में प्रासंगिक संशोधन करके स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

मंत्रालय ने कहा (मई 2017) कि सेवा कर के मौजूदा नियम में कोई संशोधन एक अर्थहीन प्रयास होगा क्योंकि "माल और सेवा कर" (जीएसटी) 1 जुलाई 2017 से आरंभ होना है और यद्यपि भविष्य में अनुपालना के लिए सिफारिशों को नोट कर लिया गया था।

चूंकि ये सिफारिशें जीएसटी व्यवस्था में भी प्रासंगिक हैं, अतः लेखापरीक्षा द्वारा की गई सिफारिशों को नये विधान में स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए सीबीईसी की जीएसटी पॉलिसी विंग द्वारा जांच की जानी चाहिए।



अध्याय 3: प्रणालियां और पद्धतियां

सेवा कर विभाग को यह सुनिश्चित करते हुए सेवा प्रदान कर रहे निर्धारितियों की पहचान करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वे विभाग में स्वयं को पंजीकृत कराएं, समय पर सरकारी खाते में लागू कर अदा करे और सेवाकर से संबंधित मौजूदा प्रावधानों और निर्देशों का अनुपालन करें। विश्वास और स्वयं-नीति और अत्यधिक विकास के स्वयं निर्धारण आधार के युग में एक सशक्त अनुपालना सत्यापन पद्धति की आवश्यकता है जो सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग कर सके।

मनोरंजन क्षेत्र सेवा की विपुलता अंतर संपर्क जिसके बीच सेवा कर के उद्ग्रहण निहितार्थ को कवर करता हैं। सूचीबद्ध सेवाओं में से नौ सेवा एसीईएस में विशिष्ट रूप से पहचानी गई हैं। अन्य सेवाओं को ओमनीबस शीर्ष “सूचीबद्ध सेवाओं के अतिरिक्त” के अंतर्गत जोड़ा गया है। अन्य डाटाबेस जैसे आयकर और निगम मामला मंत्रालय (एससीए), विशेष सेवा प्रदाताओं जैसे नियामक निकायों के साथ ब्रॉडकास्टर और व्यावसायिक निकायों या संगठनों द्वारा अनुरक्षित डाटा के पंजीकरण विवरण के साथ एसीईएस के अंतर्गत उपलब्ध एसटी पंजीकरण डाटा और कर भुगतानों के अंतः संबंध द्वारा गैर-पंजीकृत, नॉन-फाइलर्स आदि का पहचानने की गुंजाईश है।

हमने जांच की कि क्या कर आधार और अनुपालना सत्यापन की ब्रॉड कांस्टिंग के लिए प्रणाली वर्ष दर वर्ष विकसित और विस्तारित मनोरंजन उद्योग को संभालने के लिए पर्याप्त और कुशल है। मनोरंजन क्षेत्र के विशेष संदर्भ के साथ विभाग में मौजूद प्रणाली की हमारी जांच के परिणामों की चर्चा पांच विस्तृत शीर्षों के अंतर्गत की गई है:

- कर आधार का विस्तार करना
- रिटर्न की फाईलिंग की मॉनीटरिंग
- रिटर्न की संवीक्षा
- आंतरिक लेखापरीक्षा
- अन्य मामले

3.1. कर आधार का विस्तार

विभिन्न स्रोतों जैसे यैलो पेजिज, प्रादेशिक पंजीकरण प्राधिकरण विशेषतः प्रादेशिक आर्थिक अन्वेषण समिति (आरईआईसी) बैठकों द्वारा विशेष रूप से

आयकर, राज्य बिक्री कर विभागों के साथ और अंत सरकारी और अंत: विभागीय सहयोग से अंपजीकृत सेवा प्रदाताओं की सूचना प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय स्थापनाओं के लिए सेवाकर, महानिदेशक (डीजीएसटी) ने मई 2003 में निर्देश जारी किये। सीबीईसी ने नवंबर 2011 में अपनी क्षेत्रीय स्थापनाओं को निर्देश दिये कि संभावित निर्धारितियों को शामिल करके कर आधार को विस्तारित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रत्येक कमिशनरी में एक विशेष सेल बनाया जाए। इसके अतिरिक्त, विभाग को डीजी सिस्टमस द्वारा केन्द्रीय रूप से डाटा के 360° विश्लेषण से इनपुट और डीजीसीईआई आदि से असूचना, इनपुट का उपयोग करना अपेक्षित है।

हमने विभिन्न स्रोतों के इनपुटों के प्रयोग के माध्यम से मनोरंजन क्षेत्र से संबंधित नॉन फाइलर्स और गैर-अंपजीकृत की पहचान करने के लिए विभाग के प्रयासों की समीक्षा की। हमारी आपत्तियों की चर्चा नीचे की गयी है:-

3.1.1. संभावित निर्धारितियों को कर जाल में लाने के लिए विशेष सेल की अनुपस्थिति

हमने चयनित 17 कमिशनरियों से संभावित निर्धारितियों को कर जाल में लाने के लिए कर आधार बढ़ाने पर केन्द्रित विशेष सेल बनाने से संबंधित जानकारी मांगी। आठ कमिशनरियों⁹ ने सूचित किया (सितम्बर 2016 से नवम्बर 2016) कि संभावित निर्धारितियों की पहचान करने के लिए कोई विशेष सेल नहीं बनाए गए थे। कोचीन कमिशनरी ने सूचित किया (दिसम्बर 2016) कि 'सेवा कर (अपंचन-रोधी) दल', जून 2015 में गठित, दिया गया था, बैठक कर आधार को बढ़ाने की योजना बनाने के लिए आयोजित की गयी और इसके औपचारित कार्यवृत्त रिकार्ड नहीं किये गये थे। शेष आठ कमिशनरियों से उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे।

हमारे द्वारा बताये जाने पर (सितम्बर से नवम्बर 2016 के बीच), मंत्रालय ने (मई 2017) मुम्बई एसटी-VII कमिशनरी के संबंध में आपत्तियों को स्वीकार कर लिया और जयपुर और बेंगलुरु एसटी-I कमिशनरीयों के संबंध में बताया कि विभिन्न स्रोतों से नए कर दाताओं की पहचान करने के प्रयास किये जा रहे थे और डाटा प्रबंधन सेल द्वारा तीसरे पक्ष से प्राप्त डाटा का विश्लेषण कर आधार को बढ़ाने के लिए उपयोगी था। तथापि इन दो कमिशनरीयों के

⁹ अहमदाबाद एसटी, बेंगलुरु एटी-I, चंडीगढ़-I, दिल्ली एसटी-I, दिल्ली एसटी-II, दिल्ली एसटी-III, कोलकाता एसटी-II और मुम्बई एसटी-VII

लिए विशेष सेल नहीं होने के संबंध में मंत्रालय ने कोई उत्तर नहीं दिया और शेष 14 कमिशनरीयों के संबंध में उत्तर प्रतिक्रियित था।

विशेष सेल बनाने के लिए बोर्ड के निर्देश, जो कि कर आधार को बढ़ाना सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी कदम था, का पालन नहीं किया गया था।

3.1.2. लेखापरीक्षा द्वारा तीसरे पक्ष के डाटा स्रोतों के साथ प्रति सत्यापन करना

विशेष सेल की अनुपस्थिति में हम इस बात का निर्धारण नहीं कर सकते थे कि मनोरंजन क्षेत्र से संबंधित तीसरे पक्ष के डाटा स्रोतों का किस सीमा तक कर आधार को बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा प्रयोग किया गया था। इसलिए हमने एसीईएस के पंजीकरण विवरण के साथ मनोरंजन क्षेत्र से संबंधित तीसरे पक्ष के डाटा स्रोतों का स्वतन्त्र रूप से सहसंबंध करने का प्रयास किया था। हमारी जांच के परिणामों की चर्चा नीचे की गई है:

3.1.2.1. निगम मामलों का मंत्रालय (एमसीए) कंपनी पहचान संख्या (सीआईएन), कंपनी की पैन प्रास्थिती (अर्थात् सक्रिय, निष्क्रिय, परिसमापन के तहत) और कंपनियों से संबंधित आय के डाटा का अनुरक्षण करता है। हमने कार्यकलाप कोडों से संबंधित एमसीए डाटा प्राप्त किया जो कि मनोरंजन क्षेत्र से संबंधित सेवाओं को कवर करता है। हमारे द्वारा डीजी (प्रणालियों) से प्राप्त एसटी डाटा के साथ एमसीए डाटा को प्रति सत्यापित किया गया और पाया कि 1,312 निगम मनोरंजन क्षेत्र से संबंधित सेवाएं प्रदान कर रहे हैं जो एमसीए डाटा आधार में सक्रिय हैं और जो सेवा कर के भुगतान के लिए निर्धारित ₹ 10 लाख की प्रारंभिक-सीमा से अधिक आय वाले हैं ने प्रथम दृष्टिया में सेवा कर पंजीकरण प्राप्त नहीं किया था।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (नवम्बर और दिसम्बर 2016), मंत्रालय ने कहा (मई 2017) कि मुम्बई एसटी-VII कमिशनरी ने मनोरंजन क्षेत्र पर लेखापरीक्षा से प्राप्त प्रारंभिक डाटा को आवश्यक कार्रवाही के लिए अपने मंडल कार्यालय को अग्रेषित किया था और कि अहमदाबाद एसटी कमिशनरी ने सभी गैर-पंजीकृत इकाईयों के विरुद्ध कार्रवाही आरम्भ की थी। तथापि, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई प्रणालीगत चूकों पर कोई उत्तर नहीं दिया।

3.1.2.2. बेंगलुरु-एसटी कमिशनरी में वेबसाइट (जस्टडायल.कॉम) के प्रति सत्यापन से पता चला कि मनोरंजन क्षेत्र की श्रेणी के तहत 114 सेवा प्रदाता विभाग के पास पंजीकृत नहीं पाये गये थे।

3.1.2.3. बेंगलुरु एसटी कमिश्नरी के सेवा कर डाटा के केवल आपरेटरो के साथ ट्राई की वेबसाईट पर उपलब्ध स्थानीय केबल ऑपरेटरों की सूचना को लिंक करने का प्रयास भी किया गया था। इससे पता चला कि बहु प्रणाली ऑपरेटरों के पास पंजीकृत 550 केबल ऑपरेटरों में से केवल 37 केबल ऑपरेटरों ने ही सेवा कर पंजीकरण कराया था। इस प्रकार 513 केबल ऑपरेटर ने प्रथम दृष्टि में सेवा कर पंजीकरण नहीं कराया था।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (नवम्बर 2016), मंत्रालय ने कहा (मई 2017) कि क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा प्रस्तुत डाटा सम्पूर्ण जोन से संबंधित है और डाटा निर्धारित सीमा के बिना, अपूर्ण डाटा होने के कारण किसी अन्य नाम से एसटी पंजीकरण कराने की संभावना थी और केन्द्रीय पंजीकरण भारत में कही और कराया गया और आवश्यक सत्यापन प्रगति पर था।

3.1.2.4. कन्नड़ फिल्म निर्माताओ (कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कामर्स) के संबंध में डाटा के सेवा कर/सीबीडीटी डाटा के साथ प्रति सत्यापन से पता चला कि 199 कन्नड़ फिल्म निर्माता सेवा कर विभाग में पंजीकृत नहीं थे।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (दिसम्बर 2016) मंत्रालय ने कहा (मई 2017) कि जांच प्रगति पर हैं।

3.1.3. निर्धारितियों के इनपुट सेवा अभिलेखों से चूककर्ताओं की पहचान

मनोरंजन उद्योग में बड़े निर्धारिती, मुख्य रूप से फिल्म निर्माण हाऊस और प्रबंधन एजेंसियाँ द्वारा भी कई एजेंसियों और व्यक्तिगत पेशेवर की सेवाओं का उपयोग किया गया। छोटे निवेशकों और पेशेवरों के द्वारा सेवा कर के गैर-पंजीकरणो या गैर-भुगतान/अल्प भुगतान की पहचान करने के लिए स्रोत लेखापरीक्षा के लिए चयनित निर्धारितियों के अभिलेख है। हमने सेवा प्रदाताओं के विवरण को संकलित करके इस स्रोत का उपयोग करने की व्यवहार्यता की जांच करने का प्रयास किया जिनसे चयनित निर्धारकों को सेवाएं प्राप्त हुईं और एसीईएस पर पंजीकरण और रिटर्न विवरणों के साथ इन विवरणों को सहसम्बद्ध किया। इस जांच के परिणामों के विवरण नीचे दिये गये हैं:

3.1.3.1. चेन्नई एसटी-॥ कमिश्नरी में नौ निर्धारितियों के अभिलेखों से निर्धारितियों को इनपुट सेवा प्रदान करने वाले सेवा प्रदाताओं की जानकारी को एसीईएस डाटा से लिया गया और प्रति सत्यापित किया गया। यह देखा गया कि 58 इनपुट सेवा प्रदाताओं ने अपनी रिटर्न में सेवाओं के कर योग्य मूल्य की सूचना कम बताई थी जिसमें ₹ 6.78 करोड़ के सेवा कर का गैर/अल्प भुगतान सम्मिलित है।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (नवम्बर 2016) मंत्रालय ने दो मामलो में ₹ 43.29 लाख की वसूली की सूचना दी (मई 2017) और बताया कि शेष मामलो में कार्यवाही की जा रही है।

3.1.3.2. कोचीन कमिश्नरी में मैसर्स सेन्ट्रल एडवटाइजिंग एजेंसी और मैसर्स एमएम टीवी लि. के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने देखा कि तीन इनपुट सेवा प्रदाताओं ने इन निर्धारितियों को अपनी सेवाएं प्रदान की थीं। इन तीन इनपुट सेवा प्रदाताओं के विभागीय डाटा के प्रति सत्यापन पर हमने पाया कि उन्होंने उपरोक्त दो निर्धारितियों से संग्रहीत ₹ 1.20 करोड़ के सेवा कर को या तो प्रेषित नहीं किया या कम प्रेषित किया था।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (नवम्बर 2016), मंत्रालय ने कहा (मई 2017) कि उनके द्वारा मामलों की जांच की जा रही है।

3.1.3.3. मुम्बई एसटी-VI कमिश्नरी में हमने मैसर्स फोनोग्राफिक परफोरमेन्स लि., एक गैर-लाभ कमाने वाले संगठन के अभिलेखों की जांच की जो अपने सदस्यों को कॉपीराइट अधिनियम की धारा 13(1)(सी) के अन्तर्गत ध्वनि रिकॉर्डिंग का लाइसेंस जारी करने और प्रदान करने का प्रबन्ध करता है। इसके सदस्यों का डाटा संग्रहण करने पर यह पाया गया कि उसी कमिश्नरी में स्थित 64 पंजीकृत सदस्यों ने प्रथम दृष्टया: सेवा कर पंजीकरण नहीं कराया था।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (दिसम्बर 2016), मंत्रालय ने कहा (मई 2017) कि रिपोर्ट का अनुगमन किया जायेगा।

3.1.3.4. कोचीन कमिश्नरी में इवेंट मैनेजमेंट, वितरण सेवाएं इत्यादि प्रदान करने में लगे सात निर्धारितियों के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने 50 इनपुट सेवा प्रदाताओं और फिल्म उद्योग के अन्य कर्मियों की पहचान की जो इन निर्धारितियों को सेवाएं प्रदान करते हैं। आगे यह भी देखा गया कि उपरोक्त सभी सेवा प्रदाताओं ₹ 10 लाख की निर्धारित सीमा से अधिक आय होने के बाद की विभाग के पास पंजीकृत नहीं थे।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (अगस्त और नवम्बर 2016 के बीच), मंत्रालय ने कहा (मई 2017) कि रिपोर्ट का अनुगमन किया जायेगा।

3.1.3.5. मुम्बई एसटी-VII कमिश्नरी में मैसर्स टीम रस्टीक प्रा. लि. जो इवेंट मैनेजमेंट सेवा प्रदान करने में लगा हुआ था, के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया दो निदेशकों (श्री विनोद जनार्धन/एएआईपीजे 7789डी और सुश्री माया जनार्धन/एएआईपीजे 7790ई) ने किराये से आय प्राप्त की थी। तथापि

उनके द्वारा न तो पंजीकरण कराया गया और न ही उन्होंने इस संबंध में कोई सेवा कर दिया। दोनों निदेशकों पर उनके उपरोक्त किराया आय पर वि.व. 2013-14 से 2015-16 के लिए ₹ 14.71 लाख का सेवा कर वसूली योग्य था।

हमारे द्वारा बताये जाने पर (नवम्बर 2016), मंत्रालय ने (मई 2017) ₹ 6.36 लाख के ब्याज सहित ₹ 14.71 लाख की वसूली के विषय में सूचना दी थी।

3.1.4. कर 360 कार्यक्रम का प्रभाव

सीबीईसी ने अपने स्वयं के डाटा और बाह्य प्रणालियों, जैसे - आयकर, विदेश व्यापार महानिदेशालय, निगम मामले के मंत्रालय और राज्य वैट डाटा से एकीकृत डाटा का इष्टतमक उपयोग करने के लिए कर 360 नाम से मार्गदशक कार्यान्वयन प्रारंभ किया। इस 360⁰ विश्लेषण से निकलने वाले तथ्य आगे की जांच के लिए संबंधित फील्ड संरचनाओं के साथ साझा किये जाने हैं। उच्च अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट (अक्टूबर 2014) जिसके द्वारा सीबीईसी के लिए आईटी कार्यनीति बनाई गयी थी, इस पहल को और विस्तारित करने की आवश्यकता को मान्यता दी गई।

आईटी का प्रयोग और डाटा-विश्लेषक न्यूनतम भौतिक अंतराफलक के साथ हस्तक्षेप किये बिना कर प्रशासन की कार्य-विधि को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनेक छोटे निवेशकों के साथ मनोरंजन क्षेत्र जैसे क्षेत्र के लिए और अनेक नई/उभरती सेवाओं को कवर करने और उपलब्ध डाटा के बहु स्रोतों को देखते हुए 360⁰ विश्लेषण कर आधार को बढ़ाने के लिए प्रभावी उपकरण है। हमने मनोरंजन क्षेत्र के संदर्भ में 360 कार्यक्रम की प्रभावोत्पादकता की जांच की।

3.1.4.1. कर 360 कार्यक्रम से इनपुटों का प्रचार

हमने पता लगाया (सितम्बर और दिसम्बर 2016 के बीच) क्या 360⁰ विश्लेषण रिपोर्ट बोर्ड से प्राप्त हुई है और यदि हाँ, तो चयनित 17 कमिश्नरियों द्वारा विभिन्न प्राधिकरणों से डाटा साझा करने के संबंध में कमिश्नरियों द्वारा कार्रवाई की गयी। अहमदाबाद एसटी, चेन्नई एसटी-II, मुम्बई VII और नोएडा एसटी कमिश्नरियों ने बताया कि उनको ऐसी कोई रिपोर्ट बोर्ड से प्राप्त नहीं हुई है। कोचीन कमिश्नरी ने बताया (नवम्बर 2016) कि 20 शीर्ष सेवाओं को बोर्ड से 360⁰ विश्लेषण प्राप्त हुए परन्तु इनमें से कोई भी मनोरंजन क्षेत्र से संबंधित नहीं थे। दिल्ली एसटी-I, दिल्ली एसटी-II और दिल्ली एसटी-III कमिश्नरियों में 360⁰ विश्लेषणों से संबंधित कोई

अभिलेख/फाइलें प्राप्त नहीं हुई थी। शेष नौ कमिश्नरियों का उत्तर प्रतिक्षित था (जनवरी 2017)।

मुम्बई एसटी-VII कमिश्नरी के संबंध में आपत्तियों को स्वीकार करते समय मंत्रालय ने बताया (मई 2017) कि आवश्यक कार्रवाई आरम्भ की गयी है। शेष 16 कमिश्नरियों के संबंध में उत्तर प्रतिक्षित था।

3.1.4.2. कर 360 कार्यक्रम में आयकर डाटा का उपयोग न करना

आयकर नियमावली में आवश्यक है कि आयकर निर्धारिती, जो अनिवासियों के भुगतान पर कर कटौती करते हैं, फार्म 27ए में तिमाही टीडीएस विवरणियाँ फाइल करे। विभाग अधिकृत डीलरो से प्रत्येक जमाकर्ता के संबंध में फार्म 15सीए और फार्म 15सीबी की एक प्रति (चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणीकरण और विदेश में प्रेषण के लिए अधिकृत डीलर को किसी पूर्व शर्त के रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रेषक द्वारा लिया गया वचन) भी प्राप्त करता है जिसमें प्रेषण (सैट लाइट सेवा, फ्रेचाइजी सेवा आदि) के बारे में ब्यौरे शामिल होते हैं। प्रेषको को फार्म 15सीए में विदेशी प्रेषणों के विवरण अपलोड करने होते हैं। इसके अतिरिक्त निर्धारितियों द्वारा जमा की गयी टीडीएस राशि को उचित ढंग से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए फार्म 26एएस में टीडीएस के विवरण सम्मिलित होते हैं।

मनोरंजन क्षेत्र के संदर्भ में कर 360 कार्यक्रम के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए हमने मनोरंजन क्षेत्र से संबंधित आयकर डाटा का प्रयोग किया और इसे एसीईसी के साथ सहसम्बद्ध किया। हमने कोचीन कमिश्नरी में विस्तृत जांच की जिसमें पाया कि 360° विश्लेषणों से प्राप्त इनपुट में कोई भी मनोरंजन कर से संबंधित नहीं था। हमने निम्नलिखित उदाहरणों को देखा जहां आयकर डाटाबेस में उपलब्ध विशिष्ट विवरण सेवा कर की गैर/अल्प भुगतान और रिटर्न फाइल न करने वालों का पता लगाने के लिए उपयोग नहीं किये गये थे, जो कर 360 कार्यक्रम में कमियों को दर्शाता है:

क) कोचीन कमिश्नरी में मैसर्स फ्राइडे फिल्म हाऊस ने एक फिल्म 'पेरुचायी' का निर्माण किया जिसको भारत के स्थानों के साथ-साथ संयुक्तराज्य अमेरिका (यूएसए) में भी फिल्माया गया था। यूएसए में फिल्म के निर्माण के लिए निर्धारिती ने इंटरनल रैनबो इंक, न्यू जर्सी, यूएसए (गैर-करयोग्य राज्य क्षेत्र) में स्थित निर्माण कंपनी की सेवाओं का उपयोग किया था। तदनुसार निर्धारिती ने मई 2014 से अक्टूबर 2014 की अवधि के दौरान मैसर्स इटनल रैनबो इंक से प्राप्त सेवाओं

के लिए ₹ 1.74 करोड़ का भुगतान किया। यूएस को धन के प्रेषण के लिए निर्धारिती के लिए फार्म 15सीए में विवरणों को भरना और आयकर प्राधिकारियों को जमा करना आवश्यक था। प्रेषण के विवरणों को कर 360 कार्यक्रम के तहत एसीईएस के साथ जोड़ा जाना चाहिए था। तथापि हमने देखा कि निर्धारिती ने ₹ 21.49 लाख का सेवा कर नहीं दिया था और यह राशि का पता नहीं लग सका।

हमारे द्वारा बताये जाने पर (नवम्बर 2016), मंत्रालय ने कहा (मई 2017) कि रिपोर्ट का अनुगमन किया जायेगा।

ख) कोचीन कमिश्नरी में मैसर्स जीवन टेलीकास्ट कॉर्पोरेशन लि. ने दिसम्बर 2008 से अमीरात केबल टीवी और मल्टी मीडिया एलएलसी (ई-विज़न) दुबई से चैनल परिवहन से करयोग्य सेवा प्राप्त की थी। हमने देखा कि सेवा प्राप्तकर्ता के रूप में निर्धारिती ने वीसीईएस के अन्तर्गत केवल अक्टूबर 2011 से मार्च 2012 की अवधि के लिए ₹ 1.99 लाख के सेवा कर (दिसम्बर 2013 और दिसम्बर 2014) का भुगतान किया। विदेशी निर्धारिती के लिए धन के प्रेषण के लिए फार्म 15सीए में विवरणों को भरा जाना और इसे आयकर प्राधिकारियों को जमा कराना आवश्यक था। प्रेषणों के विवरणों को कर 360 कार्यक्रम के तहत एसीईएस विवरणों के साथ जोड़ना चाहिए था। परन्तु अप्रैल 2013 से दिसम्बर 2015 के दौरान ₹ 1.29 करोड़ के चैनल परिवहन शुल्क पर निर्धारिती द्वारा ₹ 14.07 लाख की राशि के सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया हुआ और पता लगाने से रह गया।

हमारे द्वारा बताये जाने पर (नवम्बर 2016), मंत्रालय ने कहा (मई 2017) कि सर्वेक्षण, आसूचना और सत्यापन ईकाई द्वारा एक मामला दर्ज किया गया है और एक एससीएन जारी किया जा रहा है।

ग) कोचीन कमिश्नरी में 21 बंद फाइलर्स/नान-फाइलर्स के संबंध में हमने आयकर विभाग से 26एएस/निर्धारण आदेशों के तहत आयकर विवरणों का संग्रहण किया। आयकर डाटा को रिटर्न और चालान विवरणों से प्रति जांच करने पर हमने पाया कि निर्धारितीयों के विवरणी भरना/कर भुगतान की स्थिति का तीसरे पक्ष से सूचना एकत्र करने की पद्धति का सहारा लेकर विभाग द्वारा सत्यापन नहीं किया गया है। तथापि हमारे विश्लेषण पर हमने निम्नलिखित को देखा:

- तीन निर्धारिती¹⁰ जो एसीईसी के तहत नान-फाइर्स थे और जिनकी आयकर निर्धारण आदेश/फार्म 26 एस के अनुसार संबंधित अवधि के दौरान ₹ 15.51 करोड़ की आय थी।
- तीन निर्धारितीयों¹¹ ने 2015-16 में विवरणीयों को फाइलर्स करना बंद कर दिया था। लेखापरीक्षा ने फार्म 26एस/आयकर निर्धारण आदेश के अनुसार आय के बीच अन्तर पाया तथा एसटी-3 विवरणी में वर्णित सेवा मूल्य जो की अवेध 2012-13 से 2014-15 के लिए ₹ 2.74 करोड़ था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2015-16 के लिए भी, जिसके लिए निर्धारिती ने एसटी विवरणी फाइल नहीं की, निर्धारितीयों ने आयकर के तहत ₹ 39.20 लाख की आय सूचित की।

हमारे द्वारा बताये जाने पर (दिसम्बर 2016), मंत्रालय ने कहा (मई 2017) कि उनके द्वारा उपरोक्त सभी मामलों में कार्रवाही प्रारंभ की गयी है।

- घ) चेन्नई एसटी-॥ कमिश्नरी में सेवा कर विवरणियों के साथ आयकर डाटा के प्रति सत्यापन से चार मामलों, जहाँ निर्धारितीयों ने एसटी विवरणी फाइल की थी, 2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान ₹ 3.43 करोड़ की कर योग्य सेवा के मूल्य की गैर-रिपोर्टिंग या अल्प रिपोर्टिंग का पता चला था।

तालिका सं. 3

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम (मैसर्स)/एसटीसी सं.	एसटी-3 विवरणी में करयोग्य मूल्य की गैर/अल्प रिपोर्टिंग
1.	हमसा थियेटर प्रा. लि.	0.44
2.	गुडस न्यूज चैनल प्रा. लि.	1.57
3.	मनोबाला	0.25
4.	सुन्दर सी	1.17

¹⁰ वर्णनालय विजुअल प्रा.लि., ऑडनरी फिल्मस् और मै. हैन्डमेड फिल्मस

¹¹ श्री दलक्यूर सलमान, अरनाकुलम केबल कम्यूनिकेटस प्रा. लि. और मेगामीडिया फिल्सस और स्टूडियो प्रा. लि.

हमारे द्वारा बताए जाने पर (दिसम्बर 2016), मंत्रालय ने आपत्तियों को स्वीकार करते समय कहा (मई 2017) कि उपरोक्त सभी मामलों में कार्रवाही की गई है।

आयकर डाटा का प्रयोग करके लेखापरीक्षा द्वारा सेवा कर के गैर/अल्प भुगतान और विवरणी न भरने वाले उदाहरणों ने दर्शाया कि विभाग ने कर 360⁰ कार्यक्रम के तहत आयकर डाटा की पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं किया।

3.2 रिटर्न फाइल करने की मॉनीटरिंग

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 70 प्रावधान करती है कि सेवा कर देने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति उसके द्वारा दी गई सेवाओं पर वह अपने आप देय कर का निर्धारण करेगा और निर्धारित विवरणी जमा करायेगा। सेवा कर नियमावली 1994 के नियम 7सी के अनुसार विवरणियों को विलम्ब से जमा कराने पर विलम्ब शुल्क भी लगाया जायेगा।

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 77(2) प्रावधान करती है कि जहाँ कोई व्यक्ति सेवा कर नियमावली 1994 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है और जिसके लिए अलग से किसी प्रकार के दण्ड का प्रावधान नहीं है, वहाँ वह दण्ड के लिए दायी होगा जिसे ₹ 10,000 तक बढ़ाया जा सकता है।

महानिदेशक, प्रणाली तथा डाटा प्रबंधन ने स्टॉप फाईलर्स/नॉन फाईलर्स/लेट फाईलर्स की पहचान करने हेतु एसीईएस {(निर्धारिती वार विस्तृत रिपोर्ट (एडब्ल्यूडीआर)) में रिपोर्ट उपयोगिता का सृजन किया है, जिसे क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा भी देखा जा सकता है।

हमने चयनित 17 कमिश्नरियों से विलंब शुल्क के परिणामी उदग्रहण के साथ भरी न गई रिटर्न और देर से भरी गई रिटर्न के बारे में पूछताछ की। जबकि 8 कमिश्नरियों¹² ने पूरी जानकारी प्रदान की, वहीं दो कमिश्नरियों (हैदराबाद

¹² अहमदाबाद एसटी, बंगलूरु एसटी-1, भुवनेश्वर-1, कोचीन, दिल्ली एसटी-1, दिल्ली एसटी-11, दिल्ली एसटी-111, तथा मुंबई एसटी IV

एसटी तथा मुंबई एसटी III) ने केवल नॉन-फाइलिंग के विवरण तथा दो कमिश्नरियों (चेन्नई एसटी-II तथा जयपुर) ने केवल लेट फाइलिंग के विवरण उपलब्ध कराए। शेष पांच कमिश्नरियों ने या तो विवरण उपलब्ध ही नहीं कराए या अधूरे विवरण उपलब्ध कराए। उपलब्ध विवरण के विश्लेषण पर हमारी आपत्तियाँ निम्नानुसार हैं:

3.2.1. रिटर्न फाइल न करना

हमने मनोरंजन क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारितियों के देय और प्राप्त रिटर्न के विवरण के संबंध में जानकारी मंगायी। विभाग द्वारा प्रस्तुत जानकारी में यह देखा गया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 10 कमिश्नरियों¹³ में 43,502 रिटर्न के प्रति केवल 31,599 रिटर्न ही फाइल की गई थी। इस प्रकार नॉन-फाइलिंग का प्रतिशत 27.36 (11,903 रिटर्न) काफी अधिक था।

लेखापरीक्षा द्वारा एसीईएस के साथ नॉन फाइलिंग संबंधी उपलब्ध करायी गई जानकारी की नमूना जांच करने पर पता चला कि 2013-14 और 2015-16 के बीच की अवधि के दौरान छः कमिश्नरियों¹⁴ में 743 निर्धारितियों द्वारा 2,022 रिटर्न नहीं भरी गई। ये निर्धारितियाँ ₹2.02 करोड़ की शास्ति तथा ₹4.04 करोड़ के विलंब शुल्क के दायीं थे।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (सितंबर तथा दिसंबर 2016 के बीच), मंत्रालय ने अहमदाबाद एसटी, दिल्ली एसटी I, तथा हैदराबाद एसटी कमिश्नरियों के संबंध में बताया (मई 2017) कि स्टॉप फाइलर्स निर्धारितियों को रिटर्न फाइल करने के लिए राजी करने के लिए नियमित रूप से पत्र लिखे जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि एसटी-3 रिटर्न की प्राप्ति के पश्चात विलंब शुल्क की वसूली की कार्यवाही आरंभ की जाएगी। शेष सात कमिश्नरियों का उत्तर प्रतीक्षित था।

इसके अतिरिक्त, जिन तीन कमिश्नरियों नामतः मुंबई एसटी VI, मुंबई एसटी-VII, तथा नोएडा एसटी, में विवरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे, लेखापरीक्षा द्वारा उनके विवरण एसीईएस से निकाले गए तथा यह देखा कि 4,440

¹³ अहमदाबाद एसटी, बेंगलुरु एसटी-I, भुवनेश्वर-I, कोचीन, दिल्ली एसटी-I, दिल्ली एसटी-II, दिल्ली एसटी-III, हैदराबाद एसटी, मुंबई एसटी-III और मुंबई एसटी-IV

¹⁴ चेन्नई एसटी-II, दिल्ली एसटी-I, दिल्ली एसटी-II, दिल्ली एसटी-III, मुंबई एसटी-III और मुंबई एसटी-IV

निर्धारितियों ने 21,376 रिटर्न फाईल नहीं की थी जिन पर ₹21.38 करोड़ की शास्ति और ₹42.75 करोड़ का विलंब शुल्क देय था।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (सितंबर और दिसंबर 2016 के बीच), मुंबई एसटी VII कमिश्नरी के संबंध में आपत्ति को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने कहा (मई 2017) कि एसटी-3 रिटर्नस के नॉन फाईलिंग के लिए शास्ति राशि की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है। शेष मामलों पर उत्तर प्रतिक्षित है।

3.2.2. रिटर्न विलंब से फाईल करना

चयनित 12 कमिश्नरियों¹⁵, द्वारा रिटर्न विलंब से भरे जाने पर दी गई जानकारी में लेखापरीक्षा अवधि के दौरान हमने विलंबित रिटर्न फाईल करने के 841 मामले देखे जिनमें 485 निर्धारितियों पर ₹74.71 लाख का विलम्ब शुल्क लगाया जाना था, जिसे विभाग द्वारा लगाया नहीं गया।

आठ कमिश्नरियों¹⁶ में एसीईएस के माध्यम से लेखापरीक्षा ने डाटा की नमूना जांच की तथा यह देखा कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 368 निर्धारितियों के मामलों में विलंबित रिटर्न फाईल करने के 637 मामलों में, ₹48.54 लाख का विलंब शुल्क उद्ग्रहित किया जाना था, जो कि विभाग द्वारा नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त, तीन कमिश्नरियों नामतः, मुंबई एसटी III, मुंबई एसटी VI और मुंबई एसटी-VII, जिन्होंने लेखापरीक्षा को यह जानकारी उपलब्ध नहीं कराई थी, हमने एसीईएस से उपलब्ध विवरणों में देखा कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 14 निर्धारितियों के मामलों में विलंबित रिटर्न फाईल करने के 30 मामले पाये गए, जिनमें ₹3.27 लाख का विलम्ब शुल्क उदग्राह्य था।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (सितंबर तथा दिसंबर 2016 के बीच) मंत्रालय ने सूचित (मई 2017) आपत्तियों को स्वीकार करते हुए 106 मामलों में ₹9.50 लाख की वसूली सूचित की तथा बताया की शेष मामलों में कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

¹⁵ अहमदाबाद एसटी, बंगलुरु एसटी-I, भुवनेश्वर-I, चेन्नई एसटी-II, कोचीन, दिल्ली एसटी-I, दिल्ली एसटी-II, दिल्ली एसटी-III, जयपुर, कोलकाता एसटी-II, मुम्बई एसटी-IV, और नोएडा एसटी.

¹⁶ अहमदाबाद एसटी, बंगलुरु एसटी-I, दिल्ली एसटी-I, दिल्ली एसटी-II, दिल्ली एसटी-III, जयपुर, कोलकाता एसटी-II और नोएडा एसटी

निर्धारितियों द्वारा रिटर्न की नॉन-फाईलिंग या विलंबित फाईलिंग के अत्यधिक उदाहरणों तथा विभागीय कार्मिकों द्वारा इस पर समुचित अनुवर्ती कार्रवाई की कमी यह दर्शाती है कि एसीईएस की वर्तमान विशेषताओं का पूर्ण उपयोग निर्धारितियों द्वारा नॉन/लेट रिटर्न फाईल करने के मुद्दे का समाधान करने के लिए नहीं किया जा रहा है।

3.2.3. पश्च वीसीईएस अनुपालन की निगरानी न करना

वित्त मंत्री के बजट 2013 के भाषण से यह उदघाटित हुआ कि सेवाकर के अंतर्गत लगभग 17 लाख निर्धारित पंजीकृत थे, उनमें से केवल सात लाख ने रिटर्न फाईल की। अतः उन्होंने पंजीकृत निर्धारितियों को, जिन्होंने रिटर्न फाईल करनी बंद कर दी है, रिटर्न फाईल करने तथा बकाया कर का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना 2013 (वीसीईएस) पेश की।

वीसीईएस जैसी क्षमा योजनाओं को तभी सफल माना जाएगा जब, इन योजनाओं के लाभांशित निर्धारित घोषित देय कर का भुगतान करेंगे तथा लगातार भरेंगे और योजना के अंतर्गत शामिल अवधि के पश्च अवधि के दौरान सांविधिक जिम्मेदारियों का अनुपालन करेंगे।

स्टॉप फाईलर/नॉन फाईलर, जिन्होंने वीसीईएस के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिरक्षा पाई थी और रिटर्न न भरने की पुरानी आदत अपना चुके थे, के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने में विभाग की असफलता पहले ही वीसीईएस 2013 की निष्पादन लेखापरीक्षा में विभाग को सूचित (अक्टूबर और दिसम्बर 2015 के मध्य) की जा चुकी है तथा इस मामले पर सीएजी रिपोर्ट¹⁷ संसद पटल में (अगस्त 2016) रखी जा चुकी है। इस रिपोर्ट पर प्रस्तुत एटीएन में (दिसंबर 2016), मंत्रालय द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि पश्च वीसीईएस की निगरानी संबंधी मामलों पर कार्रवाई की गई थी/समुचित निर्देश जारी किए गए। किंतु वर्तमान लेखापरीक्षा के दौरान (दिसंबर 2016) अभी भी

¹⁷ वीसीईएस 2013 पर सीएजी की 2016 की रिपोर्ट सं. 22 तथा पैरा 4.3.1 में वीसीईएस पश्च निगरानी पर टिप्पणी की है।

हमने यह पाया कि नमूना जांच की गई कमिश्नरियों में पश्च वीसीईएस निगरानी में कमी थी।

पश्च वीसीईएस अवधि में वीसीईएस उदघोषकों द्वारा अनुपालन निगरानी में विभाग की असफलता पर हमारी आपत्तियां निम्नानुसार हैं।

3.2.3.1. आयकर विवरणी के अनुसार पश्च वीसीईएस अवधि में कर योग्य सेवाएँ देने वाले वीसीईएस उदघोषकों द्वारा रिटर्न का न भरा जाना

मुंबई सेवाकर जोन में मनोरंजन क्षेत्र संबंधी निर्धारितियों की सर्वाधिक प्रमात्रा है। मुंबई एसटी जोन की चार चयनित कमिश्नरियों में मनोरंजन क्षेत्र से वीसीईएस उदघोषकों के मामले में हमने विभाग द्वारा की जा रही पोस्ट-वीसीईएस निगरानी की जांच की। हमने यह देखा कि 171 निर्धारिती जिन्होंने वीसीईएस के लाभ प्राप्त किए थे, वे सेवा कर रिटर्न नहीं भर रहे थे और यह सुनिश्चित करने हेतु वे निवल सेवा कर के अंतर्गत कर दे, जिन्होंने वीसीईएस के अंतर्गत लाभ उठाया है पर विभाग द्वारा कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी।

वीसीईएस उदघोषक, जो अपनी आयकर विवरणी के साथ भी नॉन फाईलर हो गये हैं, का डाटा सहसंबद्ध करने के उद्देश्य से हमने आयकर विभाग से इन नॉन-फाईलर द्वारा भरी गई आईटीआर संबंधी जानकारी मांगी। हमें उन 171 निर्धारितियों में से 58 निर्धारितियों की आईटीआर प्राप्त हुई। इनकी जांच पर हमने पाया कि मुंबई एसटी III, मुंबई एसटी IV तथा मुंबई एसटी VII कमिश्नरियों में 12 निर्धारितियों की ₹ 15.39 लाख से ₹ 34.67 करोड़ के बीच सेवा आय वाले कर योग्य सेवाएं प्रदान कर रहे थे। तथापि, वीसीईएस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के बाद भी न तो उन्होंने सेवा कर का भुगतान किया और न ही एसटी-3 रिटर्न फाईल की। ऐसा ही एक निदर्शी मामला निम्नानुसार है।

मुंबई एसटी-VII कमिश्नरी में मै. पर्स लिंक्स एंड सर्विसेज प्रा.लि. ने वीसीईएस 2013 का लाभ प्राप्त किया था। वीसीईएस का लाभ प्राप्त करने के बाद, निर्धारिती ने 2014-15 तथा 2015-16 की अवधि के दौरान एसटी-3 रिटर्न फाईल करना बंद कर दिया। निर्धारिती की आयकर रिटर्न का विलेखन करने

के पश्चात, यह देखा गया कि उसी अवधि के दौरान निर्धारिती ने ₹ 34.67 करोड़ की कर योग्य सेवा आय दिखाई थी।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (दिसंबर 2016), मंत्रालय ने बताया (मई 2017) कि विधिवत सत्यापन के बाद रिपोर्ट भेजी जाएगी।

3.2.3.2. एसीईएस से पहचाने गए वीसीईएस उदघोषको द्वारा नॉन फाईलिंग

चेन्नई एसटी-11 कमिश्नरी में, एसीईएस डाटा के साथ वीसीईएस डाटा के प्रति सत्यापन से मनोरंजन क्षेत्र संबंधी 19 वीसीईएस उदघोषकों में से, दो मामलों में एसटी-3 रिटर्न न भरने का पता चला।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (दिसंबर 2016), मंत्रालय ने बताया (मई 2017) कि देयो की वसूली संबंधी रिपोर्ट बाद में भेजी जाएगी।

3.3. रिटर्न की संवीक्षा की प्रभावकारिता

3.3.1. रिटर्न की विस्तृत संवीक्षा

रिटर्न की विस्तृत संवीक्षा का उद्देश्य निर्धारितियों द्वारा किए निर्धारणों की सत्यता सुनिश्चित करना है और विभाग द्वारा की गई निर्धारितियों की आंतरिक लेखापरीक्षा की अनुपूरक प्रक्रिया है।

बोर्ड ने परिपत्र दिनांक 30 जून 2015 के तहत 1 अगस्त 2015 से एसटी-3 रिटर्न की विस्तृत संवीक्षा हेतु मार्गदर्शकों को संशोधित किया, जिनके अनुसार रिटर्न संवीक्षा कक्ष निर्धारितियों के रिकॉर्ड और रिटर्न जो विस्तृत संवीक्षा हेतु चयनित है, का भी अनुरक्षण करेगा। विस्तृत संवीक्षा हेतु ली जाने वाली रिटर्न की सूची को केन्द्रीकृत संगणित जोखिम स्कोर पर आधारित अतिरिक्त/संयुक्त आयुक्त मंडल प्रभारी द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। चयनित निर्धारितियों की सूची संबंधित मंडलों को भेजी जाएगी। निर्धारिती की संवीक्षा प्रक्रिया तीन माह के भीतर पूरी हो जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, परिपत्र के पैरा 4.3.6 के अनुसार, लेखापरीक्षा के लिए हाल ही में (पिछले तीन वर्षों में) चयनित/लेखापरीक्षित निर्धारितियों का विस्तृत संवीक्षा के लिए चयन नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में कोई निर्धारिती लेखापरीक्षा तथा विस्तृत मानवीय संवीक्षा दोनों के अध्यक्षीन नहीं

होना चाहिए। आरंभ करने के लिए, वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए रिटर्न विस्तृत संवीक्षा हेतु लिए जाने चाहिए।

हमने चयनित कमिश्नरियों/डिविजन/रेंज में रिटर्न की विस्तृत संवीक्षा संबंधी बोर्ड के मार्गदर्शको के अननुपालन देखे जैसा नीचे दिया गया है:-

3.3.1.1. सितंबर 2015 से मार्च 2016 तक की अवधि के दौरान कोचीन कमिश्नरी में 585 रिटर्न ब्यौरेवार संवीक्षा हेतु चुनी गई थी। तथापि, मार्च 2016 तक 202 रिटर्न अभी भी ब्यौरेवार संवीक्षा हेतु लंबित थी। हमने पाया कि 46 निर्धारिती जिनकी या तो लेखापरीक्षा की गई थी या निवारक कार्रवाई के अंतर्गत चुनी गई थी का चयन किया गया। हमने आगे पाया कि चयनित सूची में वे 21 निर्धारिती भी शामिल थे जो 2013-14 के बाद पंजीकृत किये गये थे यह विस्तृत संवीक्षा हेतु त्रुटिपूर्ण चयन को दर्शाता है।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (अगस्त 2016), मंत्रालय ने बताया (मई 2017) कि उत्तर भेज दिए जाएंगे।

3.3.1.2. जयपुर कमिश्नरी द्वारा प्रेषित सूचना की संवीक्षा में यह खुलासा हुआ कि 2013-14 और 2014-15 के दौरान जयपुर कमिश्नरी के किसी भी रेंज ने एसटी-3 रिटर्न की विस्तृत संवीक्षा नहीं की। विस्तृत संवीक्षा न करने के कारण प्रस्तुत नहीं किये गये थे। हमने आगे देखा कि 2015-16 के दौरान चयनित 241 सेवाकर रिटर्न में से केवल 106 रिटर्न की विस्तृत संवीक्षा की गयी थी। बकाया 135 रिटर्न के मामले में विस्तृत संवीक्षा नहीं की गयी थी, जिनमें 41 निर्धारितियों की पहले लेखापरीक्षा की गई थी या हाल ही में पंजीकरण हुआ था। यह लेखापरीक्षा कमिश्नरी (आन्तरिक लेखापरीक्षा) और अधिकार क्षेत्र कमिश्नरी के बीच समन्वय की कमी को दर्शाता है। बकाया 94 निर्धारितियों के संबंध में विस्तृत संवीक्षा लेखापरीक्षा की तिथि से तीन माह से अधिक से लंबित हैं।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (नवंबर 2016), मंत्रालय ने बताया (मई 2017) कि प्रथम अवस्था में क्षेत्र सरंचनाओं द्वारा विस्तृत संवीक्षा के लिए वर्ष 2013-14 की रिटर्न को लिया गया था और सीबीईसी के दिनांक 30 जून 2015 के दिशा-निर्देशों के अनुसार संवीक्षा की जा रही है। तथापि, जून 2015

में बोर्ड द्वारा संशोधित दिशा-निर्देश जारी करने के पश्चात 2015-16 के दौरान विस्तृत संवीक्षा में कम रिटर्न शामिल करने तथा लेखापरीक्षा और क्षेत्राधिकार कमिश्नरियों में समन्वय की कमी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई।

3.4. आन्तरिक लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा कमिश्नरियों को सेवाकर से संबंधित नियमों और विनियमों के साथ उनके अनुपालन को सत्यापित करने के लिए चयनित निर्धारितियों की आन्तरिक लेखापरीक्षा करती हैं। आन्तरिक लेखापरीक्षा दल के लिए विस्तृत जांच सूची केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा कर लेखापरीक्षा नियमपुस्तक 2015 में निर्धारित है। आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लेखापरीक्षा द्वारा बुलाई गई निगरानी समिति बैठक (एमसीएम) में समीक्षा की जाती है और अन्तिम रूप में दिया जाता है, जहां कार्यकारी कमिश्नरी भी प्रतिनिधित्व करती हैं। एमसीएम में मूल्यांकन का उद्देश्य लेखापरीक्षा की गुणवत्ता निर्धारित करना है।

3.4.1. आंतरिक लेखापरीक्षा में विसंगतियों का खोजा न जाना:

चयनित निर्धारितियों के रिकॉर्ड की जांच के दौरान हमें मुंबई एसटी VII कमिश्नरी में ₹32.89 लाख के कर प्रभाव के ऐसे दो मामले मिले जिनमें सेवाकर संबंधी नियम तथा विनियमों का निर्धारिती द्वारा अनुपालन नहीं किया गया था। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा सभी निर्धारितियों की लेखापरीक्षा की गई थी, लेकिन ये लेखापरीक्षा द्वारा उल्लिखित कमियों का पता लगाने में असफल रहा। मामलों के उदाहरण निम्नानुसार हैं:-

3.4.1.1. सैनवैट क्रेडिट नियमावली 2004, के नियम 6 के अनुसार किसी भी ऐसी इनपुट की मात्रा या इनपुट सेवा जो छूट प्राप्त माल के विनिर्माण या छूट प्राप्त सेवा के प्रावधान में प्रयुक्त होती हो उस पर सैनवैट क्रेडिट प्राप्तेय नहीं है। नियम 6(3) की व्याख्या के अनुसार, निर्धारिती जो इस उप-नियम के अंतर्गत किसी एक विकल्प का चयन करता है, उसके द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सभी छूट प्राप्त सेवाओं पर वही विकल्प प्रयुक्त होगा। इसके अतिरिक्त, निर्धारिती जो उप-नियम (3ए) के अंतर्गत विकल्प का चयन करता

है, अपने विकल्प की सूचना लिखित रूप से क्षेत्राधिकारी अधीक्षक को देगा; तथा पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़ों के आधार पर नियम 6 (3ए) के अंतर्गत निर्धारित फार्मूला के अनुसार हर महिने अंतिम राशि का निर्धारण तथा सैनवैट की देय राशि का भुगतान करेगा। इसके अतिरिक्त उप-नियम (3ए) (बी), (सी) तथा (डी) प्रावधान करता है कि अंतिम भुगतान की गई राशि तथा अंतिम निर्धारित राशि के बीच के अंतर की राशि का भुगतान आगामी वित्तीय वर्ष के 30 जून तथा या उससे पहले करेगा। साथ ही उप-नियम 3(ए)(ई) प्रावधान करता है कि इस संबंध में कम भुगतान किया जाता है तो उसकी वसूली चौबीस प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज सहित की जाएगी।

मुंबई एसटी VII कमिश्नरी में मै. यूबीएम इंडिया प्रा.लि. के रिकॉर्ड की संवीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि निर्धारिती दोनों प्रकार की सेवाएं कर योग्य (प्रायोजक सेवा) के साथ-साथ छूट प्राप्त सेवाएं (व्यवसाय प्रदर्शनी सेवा) उपलब्ध करा रहा था तथा उसने नियम 6 (3ए) के साथ पठित नियम 6(3)(ii) के विकल्प का चयन किया था। 2014-15 के दौरान, निर्धारिती ने पिछले वर्ष 2013-14 के आंकड़ों पर आधारित प्रत्येक माह 10.0058 प्रतिशत की दर से अंतिम आधार पर छूट प्राप्त आउटपुट सेवाओं पर देय सेवा का क्रेडिट के गणना की और उलट दिया। तथापि वर्ष 2014-15 के लिए अन्तिम आरोप्य सेवा कर क्रेडिट 12.77 प्रतिशत बना। निर्धारिती पूरे वर्ष के लिए अंतिम देय सेवाकर क्रेडिट का निर्धारण करने में असफल रहा और उपरोक्त नियम के उल्लंघन में 30 जून 2015 को या पूर्व उसी राशि का भुगतान कर दिया गया। तदनु रूप निर्धारिती छूट प्राप्त सेवाओं पर क्रेडिट के कम उलटाव पर ₹ 28.64 लाख की राशि का भुगतान करने हेतु देनदार था।

यह पाया गया कि 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के लिए मई 2015 में आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित की गई लेकिन उनके द्वारा यह चूक/कमी इंगित नहीं की गई थी।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (दिसंबर 2016), मंत्रालय ने कहा (मई 2017) कि 2010-11 से 2013-14 की अवधि की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी। मई 2015 में आयोजित लेखापरीक्षा में मार्च 2015 तक की अवधि शामिल न

किए जाने पर मंत्रालय की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया जैसा कि विभाग की लेखापरीक्षा मैनुअल¹⁸ में अनुबद्ध है।

3.4.2 अनिवार्य इकाईयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा न करना

सेवा कर लेखापरीक्षा नियमपुस्तक 2011 के पैरा 5.1.2 के अनुसार, कर दाता जिसका वार्षिक सेवा कर भुगतान (नकद और सेनवैट सहित) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में ₹ तीन करोड़ या उससे अधिक था, प्रतिवर्ष अनिवार्य रूप से लेखापरीक्षा के अध्यक्षीन होगा। अक्टूबर 2015 से प्रभावी संशोधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर लेखापरीक्षा नियमपुस्तक 2015 प्रावधान करती है कि निर्धारितियों और करदाताओं का चयन डीजी (लेखापरीक्षा) द्वारा निर्धारित जोखिम मूल्यांकन विधि के आधार पर किया जाएगा।

चेन्नई एसटी-॥ कमिश्नरी में मै. राज टेलिविजन नेटवर्क लि. और मै. तमिलनाडु अरासु केबल टीवी कारपोरेशन लि. के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि यद्यपि ये निर्धारिती अनिवार्य यूनितें हैं, किन्तु 2013-14 और 2014-15 के दौरान आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

कोचीन कमिश्नरी में मै. एमएम टीवी लि. और मै. मलयाला मनोरमा लि. के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि यद्यपि ये निर्धारिती अनिवार्य यूनितें हैं, किन्तु 2014-15 के दौरान आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। मै. फेडरल बैंक लि. के मामले में लेखापरीक्षा दो वर्षों के विलम्ब से की गई थी।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (दिसम्बर 2016), मंत्रालय ने कहा (मई 2017) कि निर्धारिती से अधिकारी और अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण उपरोक्त मामलों पर लेखापरीक्षा की योजना सितम्बर 2016 और जनवरी 2017 के बीच बनाई गई थी।

3.5. एससीएन और न्यायिक निर्णयन

सीबीईसी की निर्णयन नियमपुस्तक के अनुसार, मांगी गई राशि कारण बताओ एवं मांग नोटिस (एससीएन) में दर्शायी जानी चाहिए। यदि एससीएन एक

¹⁸ 2011 की सेवा कर लेखापरीक्षा नियमपुस्तक का पैरा 4.13 और सीईएसटीएएम 2015 का पैरा 4.2.4 के अनुसार

आधार पर आधारित है, तो मांग की पुष्टि अन्य आधार पर नहीं की जा सकती और न्याय निर्णयन आदेश एससीएन से आगे नहीं जा सकता।

मांग का प्रमात्रीकरण और आधार, जिस पर उसे निकाला गया है, को एसपीएन में स्पष्ट किया जाना चाहिए। कोई भी दस्तावेज जैसे आगम पत्र, लदान बिल इत्यादि जो मांगे गए शुल्क/कर की गणना का आधार बनाते हैं, को एससीएन में विश्वसनीय दस्तावेजों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए।

3.5.1. गलत एससीएन जारी करना

मुम्बई एसटी-VI कमिश्नरी में एक प्रदर्शनीकर्त्ता मै. मुक्ता आर्ट्स लि. के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने देखा कि निर्धारिती को 15 अक्टूबर 2015 को 2011-12 से 2013-14 की अवधि कवर करते हुए, ₹ 2.22 करोड़ के लिए एससीएन जारी किया गया था जिसमें 'बिजनेस स्पोर्ट सर्विस' प्रदान करने के लिए सेवा कर की मांग की गई थी। तथापि, एससीएन जारी करने के समय, विभाग ने समझौते के अनुसार देय वितरकों के हिस्से की कटौती के बाद केवल प्रदर्शक द्वारा रखे गए राजस्व पर विचार करने के बजाय बाक्स-आफिस से सकल संग्रहण पर विचार किया था। चूंकि वितरकों का हिस्सा 'सिनोमेटोग्राफिक फिल्म के कापीराइट के अस्थायी हस्तांतरण' के अन्तर्गत आएगा इसलिए इस राशि को एससीएन में शामिल करना सही नहीं है जिससे नोटिस देना कानूनन व्यर्थ हो गया।

इसके अलावा यह भी देखा गया कि 2013-14 से 2015-16 की अवधि के लिए व्यवसाय सहायता सेवा प्रदान करते समय रखे गए राजस्व के संबंध में निर्धारिती द्वारा ₹ 4.26 करोड़ की राशि का भुगतान भी नहीं किया था। लेखापरीक्षा ने उसी कमीश्नरी में देखा कि विभाग ने उसी समान मामले पर मै. रिलायन्स मीडिया वर्क्स लि. को दिनांक 14 अक्टूबर 2014 को एक एससीएन जारी किया था जिसकी पुष्टि¹⁹ न्याय निर्णयन प्राधिकारी द्वारा की गई थी (नवम्बर 2015)।

¹⁹ दिनांक 30 नवम्बर 2015 के कमिश्नर के मूल आदेश सं. 05/एसटी-VI/आरके/2015

हमारे द्वारा बताए जाने पर (दिसम्बर 2016), मंत्रालय ने कहा (मई 2017) कि रिपोर्ट भेज दी जाएगी।

3.5.2. मांग का कम प्रमात्रीकरण

चेन्नई एसटी-॥ कमिश्नरी में मै. एसपीआई सिनेमाज प्रा. लि. के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने देखा कि थियेटर प्रबंधन प्रभारों, काउंटर बुकिंग डिलिवरी प्रभारों, 3डी ग्लास प्रभारों, इत्यादि के लिए 2012-13 और 2013-14 की अवधि के लिए प्राप्त आय पर सेवा कर का भुगतान न करने के कारण ₹ 2.09 करोड़ की राशि की मांग का एक एससीएन 4 सितम्बर 2015 को जारी किया गया था। एससीएन के परिशिष्ट के विश्लेषण से पता चला कि कर की गलत दर लगाने के कारण ₹ 25.81 लाख की सेवा कर मांग का कम प्रमात्रीकरण हुआ था।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (सितम्बर 2016), मंत्रालय ने कहा (मई 2017) कि कारण बताओ नोटिस में अपनाया गया मूल्य सह-कर मूल्य था क्योंकि यह पता करने का कोई साक्ष्य नहीं था कि निर्धारिती ने सेवाकर अलग से संग्रहीत किया था। अतः, विभाग द्वारा अपनी ओर से लाभ दिया गया था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2014-15 की अवधि के लिए अप्रैल 2016 में मांग करते समय ऐसा लाभ नहीं दिया गया था। दो वर्षों से संबंधित एससीएन जारी करते समय दो भिन्न निर्णय अपनाना गलत है। इसके अलावा निर्धारिती को सह कर लाभ (यह साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कि उसने सेवा कर का संग्रहण अलग से नहीं किया था) देने का निर्धारिती को अनुरोध करना होता है और विभाग ऐसा लाभ अपने आप नहीं दे सकता है।

सिफारिशें

4. विभाग को विशेष सैल सक्रिय करने और फाइलरों के रिकार्ड से विवरण के साथ साथ तीसरे पक्ष के डाटा के प्रयोग के लिए एक प्रणाली बनाने की आवश्यकता है ताकि संभावित अपंजीकृत तथा चूककर्त्ताओं की पहचान की जा सके।
5. बोर्ड प्रक्रिया के स्वचालन और रिटर्न फाइल न करने/देरी से रिटर्न फाइल करने पर शास्ति/विलम्बित शुल्क के उदग्रहण के लिए नोटिस जारी करने पर विचार करे।
6. बोर्ड को यह सुनिश्चित करने कि पहले से उपलब्ध डाटा को पूरी तरह से उपयोग किया गया है अपने कर 360 कार्यक्रम को मजबूत करने की आवश्यकता है अपने कर 360 कार्यक्रम को मजबूत करने की आवश्यकता है और क्षेत्र विशिष्ट डाटा सेटों की पहचान करे और उसे कर 360 कार्यक्रम से सम्बद्ध भी करे।
7. बोर्ड प्रणाली को संशोधित करने पर विचार करे जिसके माध्यम से एसीईएस में प्रारंभिक संवीक्षा के लिए स्वचालित जांच सूचियां ली जाती है।

मंत्रालय ने कहा (मई 2017) कि सीबीईसी-जीएसटी अनुप्रयोग के तहत उपरोक्त प्रावधानों को सीजीएसटी कानून के अनुसार समाविष्ट किया जा रहा है और उसे सामान्य पोर्टल नामतः जीएसटीएन पोर्टल द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।

मंत्रालय को सीबीईसी-जीएसटी अनुप्रयोग जो लेखापरीक्षा द्वारा की गई सिफारिशों का समाधान करेगा, के विशिष्ट विवरण सहभाजित करने का अनुरोध किया गया था और विवरण प्रतीक्षित हैं (जून 2017)।

अध्याय 4: अनुपालन मामले

इस लेखापरीक्षा के दौरान, हमने 156 मामलों में निर्धारित नियमों/प्रावधानों के अननुपालन के परिणामस्वरूप सेवा कर/ब्याज/स्वच्छ भारत उपकर के गैर/कम भुगतान, सेनवेट क्रेडिट के गलत/अत्यधिक लाभ लेने और सेवा के निर्यात के लाभ के गलत दावे देखे जिनमें ₹ 48.13 करोड़ का राजस्व शामिल था। इसमें से 69 मामलों में ₹ 7.95 लाख की राशि वसूल की जा चुकी है।

4.1 सेवा कर जमा न करना

यथा संशोधित, वित्त अधिनियम, 1994, की धारा 73ए के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो कर का दायी है और उसे किसी भी तरीके से किसी भी राशि जिस पर सेवा कर लगना है, वह ऐसी संग्रहित राशि का आगे केन्द्र सरकार को क्रेडिट करेगा।

कोचीन कमिश्नरी मे मै. इम्प्रेसारियो इवेंट मॅनेजमेंट प्रा. लि. और मै. जीवन टेलीकास्टिंग कारपोरेशन और जयपुर कमिश्नरी में मै. सक्षम इवेंटस के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि इन सभी निर्धारितियों ने अपने द्वारा 2015-16 के दौरान संग्रहीत ₹ 1.17 करोड़ की राशि का सेवा कर सरकार को जमा नहीं करवाया था।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (सितम्बर और नवम्बर 2016 के बीच), मंत्रालय ने मै. सक्षम इवेंटस के संबंध में ₹ 0.99 लाख के ब्याज के साथ ₹ 12.25 लाख की वसूली की सूचना दी (मई 2017) और मै. इम्प्रेसारियो इवेंट मॅनेजमेंट प्रा. लि. के संबंध में कहा कि उन्होंने निर्धारिती को तुरन्त राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं और मै. जीवन टेलीकास्टिंग कारपोरेशन के संबंध में कहा कि डीजीसीईआई यूनिट ने निर्धारिती के विरुद्ध मामला दर्ज कर दिया है।

4.2 अतिरिक्त प्रतिफल का मूल्य शामिल न करना

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 67 (1)(ii) के अनुसार जहां सेवा कर उसके मूल्य के संदर्भ में कर योग्य सेवा पर प्रभार्य है और जहां सेवा का प्रावधान

पूर्ण रूप से नहीं या आंशिक रूप से पैसे के एक प्रतिफल हेतु नहीं है तो ऐसी कर योग्य सेवा का मूल्य ऐसे प्रतिफल के बराबर पैसे के मूल्य सहित होगा।

हमने अतिरिक्त प्रतिफल, जैसे सेवा प्रदाता के स्टाफ को दत्त व्यय जिसे सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा वहन किया गया, रेस्टोरेंट सेवा की अधिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त शुल्क मुक्त क्रेडिट स्क्रिप्ट मूल्य और कर योग्य मूल्य में शामिल नहीं किए गए विज्ञापन कार्यों के लिए निःशुल्क एयर टाइम के मामले पाए। इसके परिणामस्वरूप छः कमिशनरियों में 11 निर्धारितियों द्वारा ₹4.10 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (नवम्बर और दिसम्बर 2016 के बीच), मंत्रालय ने दो मामलों अर्थात् मै. सी स्क्वेयर प्रोमोस और ईवेन्टस और मै. ओरा इंटीग्रेटड सोल्यूशन्स प्रा. लि. में ब्याज सहित ₹6.17 लाख की वसूली के बारे में बताया (मई 2017) जबकि यह सूचना दी कि दो मामलों (अर्थात् श्री विशाल (अजय) देवगन और श्री अर्जुन रामपाल) में एससीएन जारी किया जा रहा है और एक मामले में अर्थात् श्री रीतेश विलासराव देशमुख को एसपीएन जारी कर दिया गया था। बाकी मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है।

कुछ निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:-

मुम्बई एसटी-IV कमिशनरी में श्री सलमान खान, श्री अर्जुन रामपाल और मुम्बई एसटी III कमिशनरी में श्री रीतेश विलासराव देशमुख और मुम्बई एनटी-VI कमिशनरी में श्री विशाल (अजय) देवगन के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने प्रोड्यूसर और कलाकार के बीच हुए करार से पाया कि प्रोड्यूसर ने सेवा प्राप्तकर्ता होने के नाते मेक-अप आर्टिस्ट, हेयर स्टायलिस्ट और स्पोर्ट बाय की यात्रा, भोजन और आवास के प्रबंध से संबंधित व्ययों को प्रदान और वहन करने के लिए सहमति जताई थी। यद्यपि, यह उक्त सेवा प्राप्तकर्ताओं को निर्धारित द्वारा प्रदत्त सेवा से प्रत्यक्ष और असमाधेय अतिरिक्त प्रतिफल के क्षेत्र में आती है, इस अतिरिक्त प्रतिफल का मूल्य निर्धारितियों के करयोग्य मूल्य में शामिल नहीं किया गया था। 2013-14 से 2015-16 के दौरान अतिरिक्त प्रतिफल को शामिल न करने के परिणामस्वरूप ₹3.47 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं हुआ।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (नवम्बर और दिसम्बर 2016 के बीच), मंत्रालय ने श्री रीतेश विलासराव देशमुख के मामले में एससीएन जारी करने के बारे में बताया (मई 2017) और कहा कि श्री विशाल (अजय) देवगन और श्री अर्जुन रामपाल के मामले में एससीएन जारी किया जा रहा है। श्री सलमान खान के मामलों में उत्तर प्रतीक्षित था।

4.3 सेवा कर का गैर/कम भुगतान करना

14 कमिश्नरियों में हमने लागू सेवा कर प्रावधानों और नियमों के अननुपालन के कारण ₹12.56 करोड़ के सेवा कर के गैर/कम भुगतान के 45 मामले पाए।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (अक्टूबर और दिसम्बर 2016 के बीच), मंत्रालय ने 28 मामलों में ₹5.93 करोड़ की राशि की आपत्ति स्वीकार करते समय 22 मामलों में ₹4.58 करोड़ की वसूली की सूचना दी। बाकी मामलों में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2017)।

कुछ निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:

4.3.1. दिल्ली एसटी। कमिश्नरी में मै. प्रसार भारती ब्रोडकास्टिंग कार्पोरेशन के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि निर्धारिती ने 2014-15 और 2015-16 की अवधि के दौरान इग्नु के ज्ञान वाणी चैनल के लिए एडवांस लाइसेंस शुल्क के संबंध में ₹10.43 करोड़ तक की राशि के बीजक जारी किए। तथापि, निर्धारिती ने मै. इग्नु को जारी बीजकों पर ₹1.38 करोड़ का सेवा कर प्रभारित नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹1.38 करोड़ के सेवाकर का भुगतान नहीं हुआ।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (दिसम्बर 2016), मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार करते समय कहा (मई 2017) कि निर्धारिती ने पूरी राशि जमा करवा दी थी।

4.3.2. दिल्ली एसटी-III कमिश्नरी में मै. नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नालजी पार्क लिमिटेड ब्रोडकास्टिंग सेवा, साईटिफिक और कंसलटेंसी सेवा, कानूनी सेवा, रेंट-ए-कैब सेवा इत्यादि के तहत सेवाएं प्रदान करता है। निर्धारिती के अभिलेखों

के विश्लेषण पर हमने बही खाते में प्रदर्शित सेवा कर भुगतान की तुलना में सेनवेट के माध्यम से दत्त सेवा कर और 2014-15 और 2015-16 की अवधि से संबंधित ₹63.41 लाख नकद में अन्तर के कारण सेवा कर का कम भुगतान देखा।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (नवम्बर 2016), मंत्रालय ने कहा (मई 2017) कि निर्धारिती अपनी सेवाकर देयता शीघ्र जमा करवा देगा और आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

4.3.3 इसी प्रकार दिल्ली एसटी-1 कमीशनरी में इवेंट मनेजमेंट सेवा प्रदान करने वाले मै. सेलिब्रेशन इवेंट्स प्रा.लि के मामले में 2013-14 और 2015-16 की अवधि के लिए बही खाते में दर्शाए गए सेवा कर भुगतान की तुलना में सेनवेट के माध्यम से दत्त सेवाकर और ₹66.05 लाख के नकद में अन्तर के कारण सेवा कर का कम भुगतान देखा।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (अगस्त 2016), मंत्रालय ने अपत्ति स्वीकार करते समय कहा (मई 2017) कि निर्धारिती ने पूरी राशि जमा करवा दी थी।

4.4. रिवर्स प्रभार तंत्र के अन्तर्गत सेवा कर का भुगतान न होना

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 68(2) में परिकल्पित है कि सेवा प्राप्तकर्ता सेवाओं की विशिष्ट श्रेणियों पर सेवा कर के भुगतान का दायी है।

हमने रेंट-ए-कैब, कानूनी सेवाओं, श्रमबल भर्ती एजेंसी सेवाएं, सेवाओं के आयात इत्यादि से संबंधित सेवाओं पर मनोरंजन क्षेत्र के 16 मामलों में सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रति प्रभार के तहत सेवा कर का भुगतान न होने के मामले देखे जिनमें ₹1.01 करोड़ का राजस्व प्रभाव शामिल था।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (अगस्त 2016 और दिसम्बर 2016 के बीच), मंत्रालय ने 12 मामलों में ₹98.83 लाख की राशि की आपत्ति स्वीकार की और 11 मामलों में ₹92.19 लाख की वसूली की सूचना दी। बाकी चार मामलों में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2017)।

कुछ निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:-

4.4.1. दिल्ली एसटी-॥ कमिशनरी में मै. इनफोरमेशन टीवी इंडिया प्रा. लि. जो अन्य सेवाओं के अलावा ब्रोडकास्टिंग सेवाएं प्रदान करता है, के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि निर्धारिती ने 2015-16 की अवधि के लिए प्रति प्रभार तंत्र के अन्तर्गत कानूनी परामर्श, मोटर वाहन किराए पर देने और जासूसी सेवाओं से संबंधित ₹22.16 लाख के सेवाकर का भुगतान नहीं किया था।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (अगस्त 2016), और मंत्रालय ने पूरी राशि की वसूली की सूचना दी (मई 2017)।

4.4.2. नोएडा एसटी कमिशनरी में अन्य सेवाओं के साथ ब्रोडकास्टिंग सेवाएं प्रदान करने वाले मै. सहारा इंडिया टीवी नेटवर्कस के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि निर्धारिती ने 2015-16 की अवधि के लिए प्रति प्रभार तंत्र के अन्तर्गत कानूनी सेवाओं, सेवाओं के आयात, श्रमबल और मोटर वाहन सेवाएं किराए पर देने से संबंधित ₹ 13.05 लाख के सेवाकर का भुगतान नहीं किया था।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (अगस्त 2016), और मंत्रालय ने कहा कि उत्तर भेज दिया जाएगा (मई 2017)।

4.5. सेनवैट क्रेडिट का अनुचित/अधिक लाभ उठाना

4.5.1. इनपुट सेवाओं पर अयोग्य क्रेडिट

सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम 2(i) अन्य बातों के साथ साथ इनपुट सेवाओं को एक आउटपुट सेवा प्रदान करने के लिए एक आउटपुट सेवा प्रदाता द्वारा प्रयुक्त किसी सेवा के रूप में परिभाषित करता है और इसमें यह सेवाएं शामिल हैं जैसे आधुनिकीकरण, फैक्ट्री का नवीकरण या मरम्मत, इत्यादि किन्तु मोटर वाहन को किराए पर देने के माध्यम से प्रदत्त सेवा को छोड़कर क्योंकि वह मोटर वाहन से संबंधित प्रदत्त है जो एक पूंजीगत माल नहीं है, आउटडोर केटरिंग से संबंधित सेवाएं, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, कोस्मेटिक

और प्लास्टिक सर्जरी, एक क्लब की सदस्यता, स्वास्थ्य, और फिटनेस केन्द्र, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और छुट्टियों पर कार्मिकों को यात्रा लाभ देना जैसे अवकाश या गृह यात्रा रियायत से संबंधित हैं, जब ऐसी सेवाएं मुख्यतः किसी कार्मिक के व्यक्तिगत उपयोग या उपभोग के लिए प्रयुक्त होती हैं।

सात कमिश्नरियों में अभिलेखों की जांच के दौरान हमने 12 मामले पाए जिनमें निर्धारितियों ने 2013-14 से 2015-16 के दौरान अयोग्य इनपुट सेवाओं पर ₹ 1.02 करोड़ के सेनवैट क्रेडिट का अनियमित रूप से लाभ लिया था।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (अगस्त 2016 और दिसम्बर 2016 के बीच), मंत्रालय ने चार मामलों में ₹ 36.64 लाख की राशि वाली आपत्ति को स्वीकार करते समय तीन मामलों में ₹ 15.68 लाख की वसूली की सूचना दी। जबकि ₹ 61.28 लाख की राशि वाले छः मामलों में क्षेत्रीय संरचनाओं ने चार मामलों में ₹ 41.65 लाख की वसूली की सूचना दी, मंत्रालय से कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई थी। बाकी दो मामलों में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2017)।

कुछ निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:

4.5.1.1. मुम्बई एसटी-III। कमिश्नरी में मै.वाटसन इंडिया मीडिया प्रा.लि. के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि निर्धारिती की कम्पनी को बेचने की योजना थी जिसके लिए एक एजेंसी मै. वायरस टेक्नो इन्नोवेशन प्रा.लि. को कम्पनी को खरीदने के लिए एक संभावित निवेशक ढूँढने के लिए नियुक्त किया गया था। निर्धारिती ने एजेंसी को ₹ 30.90 लाख के सेवा कर सहित ₹ 2.80 करोड़ का भुगतान किया और ₹ 30.90 लाख के क्रेडिट का लाभ भी लिया। निर्धारिती द्वारा क्रेडिट का लाभ सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(I) के तहत योग्य नहीं था क्योंकि यह सेवा आउटपुट सेवा प्रदान करने के लिए उपयोग नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 30.90 लाख के सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ लिया गया।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (नवम्बर 2016), मंत्रालय ने ब्याज सहित ₹ 32.42 लाख की वसूली की सूचना दी (मई 2017)।

4.5.1.2. चेन्नई एसटी-II कमिश्नरी में मै. पोलिमर मीडिया प्रा.लि. जो अन्य सेवाओं के अलावा ब्रोडकास्टिंग सेवाएं प्रदान करता है, के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया कि निर्धारिती ने 2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान वाहन किराया प्रभारों से संबंधित सेवाओं पर ₹17.87 लाख की इनपुट सेवा क्रेडिट का लाभ लिया था। निर्धारिती द्वारा किराए पर लिए गए मोटर वाहन पूंजीगत माल की परिभाषा में नहीं आते और इसलिए वह इनपुट क्रेडिट का लाभ लेने के लिए अयोग्य था। इसके परिणामस्वरूप ₹17.87 लाख के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ लिया गया।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (अगस्त 2016), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार करते समय कहा (मई 2017) कि एससीएन जारी होने के अधीन था।

4.5.2. सेनवेट क्रेडिट का अत्यधिक लाभ लेना

एक सेवा प्रदाता अपने सेवा कार्यों और इनपुटों पर दत्त शुल्क और/या पूंजीगत माल से संबंधित इनपुट सेवाओं पर दत्त सेवा कर के क्रेडिट का लाभ ले सकता है और सेवा कर के भुगतान में लिए गए उस लाभ पर क्रेडिट का उपयोग कर सकता है।

आठ कमिश्नरियों में अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि 11 मामलों में 2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान ₹73.00 लाख की राशि तक के सेनवेट क्रेडिट का अधिक लाभ लिया गया था।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (सितम्बर और दिसम्बर 2016 के बीच), मंत्रालय/विभाग ने पांच मामलों में ₹17.74 लाख की राशि वाली आपत्ति को स्वीकार करते समय तीन मामलों में ₹10.84 लाख की वसूली की सूचना दी। शेष छः मामलों में मंत्रालय/विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2017)।

4.5.3. अनुचित दस्तावेज पर लिया गया सेनवेट क्रेडिट

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम 9 उन दस्तावेजों को विनिर्दिष्ट करता है जिसके आधार पर विनिर्माता/सेवाप्रदाता को शुल्क/सेवा कर पर

इनपुट/पूँजीगत वस्तुओं या इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट की अनुमति दी जाती है।

अभिलेखों की जांच के दौरान हमने चार कमिश्नरियों में छः मामले देखे जहाँ सेनवेट क्रेडिट का लाभ अनुचित दस्तावेजों के आधार पर उठाया गया था। इसके परिणामस्वरूप 2013-14 से 2015-16 के दौरान ₹1.25 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का अनुचित लाभ उठाया गया।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (अगस्त और दिसम्बर 2016 के बीच), मंत्रालय ने दो मामलों में शामिल ₹3.43 लाख की आपत्तियों को माना और इन दो मामलों में से एक में ₹1.91 लाख की वसूली को सूचित किया। बकाया चार मामलों में मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2017)।

एक सोदाहरण मामला निम्नलिखित है:

मै. लमहास सेटेलाईट सर्विसेज लिमिटेड के अभिलेखों की जांच के दौरान मुम्बई एसटी-VII कमिश्नरी में, हमने पाया कि निर्धारिती ने 2013-14 से 2015-16 के दौरान प्रोफॉर्मा बीजक के आधार पर ₹58.15 लाख के क्रेडिट का लाभ उठाया जिसके परिणामस्वरूप ₹58.15 लाख के सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ उठाया गया।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (दिसम्बर 2016), मंत्रालय ने कहा (मई 2017) कि उत्तर आगे दिया जाएगा।

4.5.4. सेनवेट क्रेडिट का उलटाव न करना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(2) के अनुसार जहाँ निर्धारिती शुल्क योग्य तथा छूट प्राप्त सेवाओं दोनों से संबंधित है वहाँ वह प्राप्ति, खपत और शुल्क योग्य सेवा में उपयोग के लिए अभिप्रेत इनपुट/इनपुट सेवाओं की इन्वेंट्री और वे जो छूट प्राप्त सेवा में उपयोग के लिए अभिप्रेत हैं और केवल पुराने भाग का क्रेडिट लेना है, के लिए पृथक लेखा अनुरक्षण करेगा। आगे पृथक लेखाओं के अनुरक्षण का विकल्प न होने वाले आउटपुट सेवा प्रदाता छूट प्राप्त वस्तुओं और छूट प्राप्त सेवाओं को मूल्य के छः प्रतिशत के बराबर

भुगतान या सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के उप-नियम 3ए²⁰ के तहत निर्धारित राशि का भुगतान करेंगे। नियम 2(ई) के अनुसार, 'छूट प्राप्त सेवाएं' का तात्पर्य करयोग्य सेवाएं जिन पर उगाही योग्य सेवा कर से पूर्ण छूट है और इसमें वह सेवाएं शामिल हैं जिन पर वित्त अधिनियम की धारा 66बी के तहत कोई सेवा कर उदग्राह्य नहीं है। आगे वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66डी(ई) के अनुसार वस्तुओं का व्यापार नकारात्मक सूची में एक मद है।

हमने नौ कमिश्नरियों में 15 मामले देखे जिनमें निर्धारिती ने समीक्षा अवधि के दौरान सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 6 के अन्तर्गत देय ₹ 18.73 करोड़ की राशि को न वापसी की गई थी और न ही कम वापसी की गई थी।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (अगस्त और दिसम्बर 2016 के बीच), मंत्रालय ने सात मामलों में शामिल ₹ 60.03 लाख की राशि की आपतियों को माना और पांच मामलों में ₹ 47.95 लाख की वसूली को सूचित किया। एक मामले में मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जिसकी चर्चा नीचे की गई है। बकाया मामलों में मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2017)।

कुछ सोदाहरण मामले निम्नप्रकार से हैं:-

4.5.4.1. मुम्बई एसटी-IV कमिश्नरी में मै. प्राइम फोकस लिमिटेड (पीएफएल) के अभिलेखों की जांच के दौरान में हमने पाया कि निर्धारिती ने रूपान्तरण व्यवसाय को चण्डीगढ़ और मुम्बई में एक साथ सभी फर्जी माने गए दायित्वों के साथ सभी परिसंपत्तियों और कर्मचारियों को एक चालू प्रतिष्ठान में मै. प्राइम फोकस वर्ल्ड क्रिएटिव सर्विसेस प्रा. लि. के लिए व्यापार अन्तरण अनुबंध के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर दिया। निर्धारिती ने 2013-14 और 2014-15 के दौरान इस स्थानान्तरण के प्रति ₹ 229.70 करोड़ का प्रतिफल प्राप्त किया। एक चालू प्रतिष्ठान पर व्यापार अन्तरण छूट प्राप्त सेवा है और निर्धारिती किसी पृथक लेखा का भी अनुरक्षण नहीं कर रहा था। अतः

²⁰ निर्धारिती पूर्व वर्ष के आंकड़ों पर आधारित अस्थाई रूप से प्रत्येक माह अयोग्य क्रेडिट की राशि का भुगतान कर सकता है। और वर्ष के आपत्ति पर वास्तविक राशि पर आधारित वास्तविक आयोग्य क्रेडिट की निकासी और किसी अन्य भिन्नता के साथ ब्याज भुगतान करें।

निर्धारिती को छूट प्राप्त सेवा के मूल्य के 6 प्रतिशत पर संगणित ₹13.78 करोड़ राशि जो इस छूट प्राप्त सेवा से संबंधित है, पर सेनवेट क्रेडिट उलटाव अपेक्षित था।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (दिसम्बर 2016), मंत्रालय ने कहा कि (मई 2017) कि व्यापार के स्थानान्तरण में पूर्ण रूप से विभिन्न परिसंपत्तियां और व्यापार देयताएं शामिल हैं। इसलिए यह सेवा के रूप में योग्य नहीं है जैसा वित्त अधिनियम, 1944 की धारा 65(44) के अन्तर्गत परिभाषित है। अतः सेनवेट क्रेडिट का कोई उलटाव अपेक्षित नहीं है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यापार अन्तरण करार के अनुसार चल एवं अचल परिसंपत्तियों सहित परिसंपत्तियों को स्थानान्तरण किया गया है। अतः यह सेवा योग्य के रूप में वित्त अधिनियम, 1944 की धारा 65(44) के तहत परिभाषित होती है और निर्धारिती को सेनवेट क्रेडिट उलटाव अपेक्षित था जिसकी संगणना छूट प्राप्त सेवा के 6 प्रतिशत कीमत पर की गई थी।

4.5.4.2. दिल्ली एसटी-1। कमिश्नरी में मै. जागरण प्रकाशन लि. के अभीलेखो की जांच के दौरान, हमने पाया कि निर्धारिती ने दोनों कर योग्य और छूट प्राप्त सेवा प्रदान की थी और इनपुट सेवा के लिए प्रयोग की गई करयोग्य आय और छूट प्राप्त सेवाओं के संबंध में सभी प्रशासनिक सेवाएँ अर्थात् किराया देना, कोरियर देना, विधिक इत्यादि के लिए पृथक लेखा का अनुरक्षण नहीं किया था। अतः निर्धारिती 2013-14 से 2015-16 के दौरान ₹29.24 करोड़ की छूट प्राप्त सेवा का छः प्रतिशत की दर से ₹1.75 करोड़ राशि के भुगतान का दायी है।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (सितम्बर 2016), मंत्रालय ने कहा (मई 2017) एससीएन जारी किया जा रहा है।

4.5.5. पुराने बीजकों पर सेनवेट क्रेडिट

1 सितम्बर 2014 से संशोधित सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 4 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया था कि उपरोक्त नियम 9 के तहत जारी दस्तावेजों की तिथि से छः माह के पश्चात सेनवेट क्रेडिट

स्वीकृत नहीं किया जाएगा। इसकी समय सीमा 1 मार्च 2015 से छः माह की बजाय एक वर्ष कर दी गई थी।

दिल्ली एसटी-III कमिश्नरी में मै. डेन इंजाय केबल प्रा. लि. और मै. एमएच वन टीवी नेटवर्क लि. और कोचीन कमिश्नरी में मै. एकजीक्यूटीव इवेंट्स के अभिलेखों की जांच के दौरान, हमने पाया कि निर्धारिती ने 2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान छः माह/एक वर्ष से पुराने बीजकों के आधार पर भुगतान किए गए शुल्क के क्रेडिट का लाभ उठाया। इसके परिणामस्वरूप ₹33.32 लाख के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाया गया।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (सितम्बर और नवम्बर 2016 के बीच), मंत्रालय ने दो मामलो में आपत्तियों को स्वीकार करते हुए मै. डेन इंजाय केबल प्रा. लि. के मामले में ₹0.87 लाख की वसूली को सूचित किया। मै. एकजीक्यूटीव इवेंट के मामले में उत्तर प्रतीक्षित है।

4.5.6. बिना भुगतान किये सेनवेट क्रेडिट का लाभ लेना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 4 के उपनियम 7 में निर्धारित है कि इनपुट सेवा के संबंध में सेनवेट क्रेडिट उस दिन या उस दिन के बाद अनुमति दी जाएगी जिस पर नियम 9 में निर्दिष्ट बीजक, बिल या जैसा भी मामला हो, चालान प्राप्त किए गए हैं। आगे कथित नियम के परन्तुक में प्रावधान है कि किसी मामले में इनपुट सेवा के मूल्य और प्रदत्त या देय सेवाकर जैसा कि बीजक/बिल में दर्शाया गया है, को बीजक/बिल की तिथि से तीन माह के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है तो सेवा प्रदाता जिसने ऐसी इनपुट सेवा कर क्रेडिट लिया है, को उस ऐसी इनपुट सेवा पर प्राप्त सेनवेट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करना होगा।

आगे यह नियम प्रावधान करता है कि यदि कोई भुगतान या उसका कोई भाग जो इनपुट सेवा के प्रति किया गया, वापस किया जाता है या क्रेडिट नोट को विनिर्माता या सेवा प्रदाता द्वारा प्राप्त किया है जिन्होंने ऐसे इनपुट सेवाओं पर क्रेडिट लिया है तो वह उसके जितनी राशि के संबंध में वापस या क्रेडिट ली गई सेनवेट क्रेडिट को उसके बराबर भुगतान करेगा।

अभिलेखों की जांच के दौरान पांच कमिश्नरियों के छः मामलों में हमने पाया कि जहां सेवा प्रदाता ने उपरोक्त नियमों के उल्लंघन में इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था चाहे उस पर भारित सेवा कर के साथ इनपुट सेवा के मूल्य के लिए तीन माह की तय समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.93 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाया गया।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (अगस्त और दिसम्बर 2016 के बीच), मंत्रालय ने चार मामलों में ₹ 28.20 लाख की शामिल राशि की आपत्ति को स्वीकार करते हुए दो मामलों में ₹ 6.62 लाख की वसूली की सूचना दी शेष मामलों में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2017)।

एक सोदाहरण मामला निम्नलिखित है:-

नोएडा एसटी कमिश्नरी में मै. सहारा इंडिया टीवी नेटवर्क के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने इनपुट सेवा के संबंध में ₹ 4.56 करोड़ का सेनवेट क्रेडिट का लाभ और उपयोग किया था जिसमें निर्धारिती ने लेखापरीक्षा की तिथि तक (नवम्बर 2016) इनपुट सेवा के मूल्य का भुगतान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप 2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान ₹ 4.56 करोड़ का अनियमित लाभ उठाया गया।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (नवम्बर 2016), जिस समय मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2017), निर्धारिती ने को ₹ 4.56 करोड़ के क्रेडिट को उलट दिया (दिसम्बर 2016)।

4.5.7. बिकी हुई पूंजीगत वस्तुओं पर आनुपातिक सेनवेट क्रेडिट का उलटाव न करना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(5ए)(ए)(ii) के अनुसार, यदि पूंजीगत वस्तुएं जिन पर सेनवेट क्रेडिट लगाया गया था, को उपयोग उपरान्त हटाया गया है तो आऊट पुट सेवा प्रदाता सेनवेट क्रेडिट लेने की तिथि से एक वर्ष की प्रत्येक तिमाही अथवा उसके भाग के लिए 2.5 प्रतिशत की दर पर स्ट्रेटलाइन विधि द्वारा संगणित किए गए प्रतिशत बिंदुओं द्वारा घटाकर

कथित पूंजीगत वस्तुओं पर लिए गए सेनवेट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

चेन्नई एसटी-11 कमिश्नरी के मै. सारावानन विडियो सेन्टर और कोचीन कमिश्नरी के मै. केरला कम्युनिकेशन केबल लिमिटेड के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि निर्धारिती ने आयातित पूंजीगत वस्तुओं को बेच दिया था (जिन पर वे पहले ही सेनवेट क्रेडिट प्राप्त कर चुका था) लेकिन 2013-14 से 2015-16 के दौरान सेनवेट क्रेडिट के बराबर उलटाव की चूक कर चुका था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 27.44 लाख के सेनवेट क्रेडिट का उलटाव नहीं हुआ।

हमने इसके बारे में बताया (सितम्बर और दिसम्बर 2016 के बीच), मंत्रालय ने मै. सारावानन विडियो सेन्टर के संबंध में ₹ 9.12 लाख की वसूली की सूचना दी (मई 2017) और कहा कि मै. केरला कम्युनिकेशन केबल लिमिटेड को एसीएन जारी किया जा रहा है।

4.6. स्वच्छ भारत उपकर का गैर/कम भुगतान

वित्त अधिनियम, 2015 की धारा 119 में 15 नवम्बर 2015 से सभी कर योग्य सेवाओं पर 0.5 प्रतिशत की दर पर स्वच्छ भारत उपकर (सीबीसी) के उदग्रहण एवं संग्रहण के लिए प्रावधान निर्दिष्ट है।

चार कमिश्नरियों में अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि छः निर्धारितीयों द्वारा स्वच्छ भारत उपकर का ₹ 56.99 लाख भुगतान नहीं किया गया था। जब हमने यह उल्लेख किया (अगस्त और नवम्बर 2016 के बीच) मंत्रालय ने सभी मामलों में आपत्तियों को स्वीकार करते समय ₹ 56.27 लाख की वसूली की सूचना दी (मई 2017)।

4.7. ब्याज का भुगतान न करना/कम भुगतान

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 75 में परिकल्पित है कि प्रत्येक व्यक्ति, धारा 68 या उसके अन्तर्गत बने नियमों के प्रावधान के अनुसार कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी है, जो कर या उसके भाग को केन्द्रीय सरकार के

लेखा में निर्धारित अवधि के भीतर क्रेडिट करने में असफल रहता है तो वह उस अवधि हेतु, जिसमें इस प्रकार के कर या उसके भाग को क्रेडिट करने के विलंब हुआ था, के लिए वह ब्याज का भुगतान करेगा।

अभिलेखों की जांच के दौरान हमने नौ कमिशनरियों में 19 मामलों में सेवाकर के विलंबित भुगतान पर ₹ 1.45 करोड़ के ब्याज का भुगतान न करना/कम भुगतान करना देखा।

हमने उनका उल्लेख किया (अगस्त और दिसम्बर 2016 के बीच) मंत्रालय ने 12 मामलों में ₹ 97.75 लाख की राशि वाली आपत्तियों को स्वीकार कर लिया और सात मामलों में ₹ 35.82 लाख की वसूली की सूचना दी। शेष सात मामलों में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2017)।

सोदाहरण दो मामले निम्नलिखित हैं:-

4.7.1. कोचीन कमिशनरी में इवेंट मैनेजमेन्ट सेवा में लगे मै. इम्प्रेसारियो इवेंट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि उन्होंने 2013-14 और 2014-15 वर्षों के लिए क्रमशः ₹ 70.07 लाख और ₹ 56.32 लाख के सेवा कर का 250 दिनों से 544 दिनों तक के बीच विलम्ब से भुगतान किया। लेकिन ₹ 28.41 लाख के लागू ब्याज का ना तो निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया और न ही विभाग द्वारा मांग की गई थी।


हमारे द्वारा बताए जाने पर (अक्टूबर 2016), मंत्रालय ने बताया है (मई 2017) कि उन्होंने निर्धारिती को राशि का भुगतान करने के निर्देश दिये हैं।

4.7.2. मुम्बई एसटी-VI कमिशनरी में प्रोग्राम प्रोड्यूसर सर्विस उपलब्ध कराने में लगे मै. मिस्टिक एक मनोरंजन कम्पनी के रिकॉर्ड की जांच के दौरान हमने पाया कि निर्धारिती ने 2013-14 से 2015-16 के दौरान ₹ 21.04 लाख के ब्याज का कम भुगतान किया था जिस पर विभाग द्वारा कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की गई थी।

हमारे द्वारा बताए जाने पर (अक्टूबर 2016), मंत्रालय ने बताया (मई 2017) कि उत्तर भेजा जाएगा।


निर्धारितियों द्वारा कराधान नियमों की अननुपालना के उदाहरण अननुपालन को अधिक कठिन बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और डाटा विश्लेषण के आधार पर अधिक स्वचालित अनुपालन सत्यापन तंत्र को संस्थापित करने की आवश्यकता को इंगित करते हैं।


नई दिल्ली
दिनांक: 11 जुलाई 2017


(हिमबिन्दु मुडुंबै)
प्रधान निदेशक (सेवा कर)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 11 जुलाई 2017


(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



संकेताक्षर

संकेताक्षर

एसीईएस	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर का स्वचालन
एटीएन	की गई कार्रवाई टिप्पणी
एडब्ल्यूडीआर	निर्धारिती वार विस्तृत रिपोर्ट
सीएजी	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
सीबीईसी	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड
सीजीएसटी	केन्द्रीय वस्तु सेवाकर
सेनवेट	केन्द्रीय मूल्य वर्धन कर
सीईएसटीएएम	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर लेखापरीक्षा नियमावली
डीजी	महानिदेशक
डीजीसीईआई	महानिदेशक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
जीएसटीएन	वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क
इग्नू	इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी
एलटीडी	लिमिटेड
पीएलए	व्यक्तिगत बही खाता
प्रा.	प्राइवेट
एससीएन	कारण बताओं नोटिस
एसटी	सेवा कर
वीसीईएस	स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना, 2013

